

## असाधारग EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3-- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Rio 577] No. 577] नई दिल्ली, शुक्रवार, विसम्बर 26, 1980/पौष 5, 1902 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 1980/PAUSA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या को आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### थम मंत्रालय

## आरोग

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1980

का० आ० 984 (अ.).—नैर-पत्रकार, समाक्षार-पत्र कर्मचारियों श्रीर श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीक्षित करने में सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दो मजदूरी बोर्ड, श्रमजीवी पत्रकार श्रीर श्रन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की गार्त) श्रीर प्रकीर्ण उपबंध ग्राधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग शौर धारा 9 के श्रधीन क्रमणः 11 जून, 1975 श्रीर 6 फरवरी, 1976 को भारत सरकार के श्रम गंतालग की श्रधिमूलना सं० गा० शा० 1958 श्रीर 809, तारीख 11 जन, 1975 श्रीर 6 फरवरी, 1976 हारा गरित किए गए थे ;

भीर उन्त वो मजदूरी बोड प्रभावी कुए में पाये नहीं कर एके: भीर केन्द्रीय सरकार ने उन्त प्रधिनियम की धारा 13कना की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 13वध की उपधारा (1) द्वारा उसको प्रदक्त गिक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत रारकार के थम मंद्रा-लय की तारीख 9 फरवरी, 1979 की वो प्रधिनूचना सं० का० था० 81 (प्र) भीर का० धा० 82(प्र) द्वारा, गैर-पत्रकार, समाचार पत्र कर्मचारियों भीर थमजावी पक्षकारों के लिए उक्त दो मजरूरी बोलों के स्थान पर प्रधिकरण प्रतिस्थापत किए गए थे;

ग्रीर पूर्विक्त ग्रधिकरणों ने 13 ग्रमस्त, 1980 की केन्द्रीय गरकार को ग्रपनी सिफारिमों प्रस्तुत की थी; श्रीर केन्द्रीय सरकार का उक्त सिफारिशों के ब्रध्याय II भीर प्रध्याय IV के पैरा 18 तथा घष्ट्याय VI के पैरा 11 की परीक्षा करने का प्रस्ताव है श्रीर जब नक ऐसी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती है भीर उस निमित्त अलग से श्रादेश जारी नहीं कर विष् जाते हैं तब तक समाधार्णव स्थापन इस ब्रादेण के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व लागू दरों पर महंगाई भना का संदाय करने रहेंगे;

श्रीर केन्द्रीय गरकार ने उक्त श्रधिकरणों को इस प्रावेश की श्रानु-सूची में संनग्न मिफारिणों के श्रव्याय II, IV और VI में श्रन्तविष्ट श्रन्य मिफारिणों को इसमें इसके पश्चात् विनिविष्ट ऐसे उपान्तरणों के श्रधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया है। ये उपान्तर ऐसे हैं, जो मरकार की राय में श्रन्य मिफारिणों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते;

भ्रत. नेन्द्रीय सरकार, श्रमजीवी पत्नकार भीर अन्य समाधार पत्न वर्भपारी (सेवा की भर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध मधिनियम, 1955 (1956 क। 45) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त मिलतयों का प्रयोग करते हुए, बादेश सन्ती है कि :----

- (क) ब्रध्याय II के पैरा 20 के उप पैरा (9) के स्थान पर निम्तलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, प्रथात :--
- "(9) इन सिफारियों का उन निबंधनों भीर सतौं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन पर नियम 3(क) भीर 3(ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उपलब्धियां और प्रतिरिक्त भत्ते मंजूर किए गए थे।"

- (ख) भ्रष्टयाय II के पैरा 20 के उपपैरा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, श्रर्थात्:--
- "(13) जहां किसी कर्मचारी को इन नियमों के इपबंधों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है यहां यह उसी सारीख को समुचित वेननमान में वेतनवृद्धि पाने का हकदार होगा जिसको वह इस आदेश के ठीक पूर्व हकदार था।"
- (ग) म्राध्याय IV के पैरा 21 के उपपैरा (9) के स्थान पर निस्नलिखिन उपपैरा रखा जाएगा, मर्थात्:---
- "(१) इन सिफारिकों का उन निबंधनों और गतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन पर नियम 3(क) और 3(ख) में निर्दिष्ट धतिरिक्त उपलब्धियां और ग्रतिरिक्त भन्ने मंजूर किए गए थे।"
- (घ) भ्रध्याय IV के पैरा 21 के उपपैरा (13) के स्थान पर निम्नलिखिन उपपैरा रखा जाएगा, श्रर्थान:---
- "(13) जहां किमी कर्मचारी को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी वेतनमान में फिट किया जाता है वहां वह उस तारीख को समुचित नेतनमान में नेतनवृद्धि पाने का हकदार होगा जिसकों नह इस आदेश के ठीक पूर्व हकदार था।"
- (क) सभी वर्ग की समाचार एगेंसियों में ऐसे स्थापन जो इस समय मकान किराया भन्ने का संदाय कर रहे हैं, उसे देना जारी रखेंगे।
- (च) सिफारिशों, समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के संबंध में, मकान किराया भक्ते की मान्ना पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी यदि बह उत्तने से प्रधिक हैं जिलना सिफारिशों के अनुसार प्रमुजेय हैं।

## अनुसूची

प्रध्याय II, IV, भौर VI में ग्रन्तविष्ट सिफारिशें

अध्याय-II

सिफारिशें

भाग-I

## प्रारंभिक

#### ा. परिभाषाः

'समाचार-प्रतिष्ठान' 'श्रमजीवी पह्नकार' ग्रौर 'गैर-पह्नकार समाचारपत्न कर्मचारी' गड़दों का वही अर्थ होगा जो श्रम-जीवी पत्रकार ग्रौर श्रन्य समाचारपत्न कर्मचारी (सेवा की शर्ते) ग्रौर प्रकीर्ण उपवन्ध श्रधिनियम, 1955, जिसें इसके बाद 'श्रधिनियम' कहा गया है, मे दिया गया है। इस भाग की सिफारिशों के प्रयोजन के लिए समाचारपत्न 'प्रतिष्ठान' में समाचार एजेन्सी शामिल नहीं होगी।

उस समाचार पत्न प्रतिष्ठान के मामले में जिसका लेखा वर्ष कैलेज्डर वर्ष है, लिखा वर्ष जो विशेष वर्ष के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता है, से प्रभिप्राय वह कैलेंडर वर्ष होगा और उस सनाचारपत्न प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में, जिसका लेखा वर्ष कैलेज्डर वर्ष से भिन्न हैं, लेखा वर्ष से प्रभिप्रायः प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से है, जिसका धाधे से ज्यादा भाग उस विशेष वर्ष में धाता है। उदाहरण: यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अप्रैल से णुरू होता है, तो अनुवर्ती पैर प्राफों में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1977-78 से लगाया जाएगा। दूसरी भीर, यदि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली अक्तूवर से गुरू होता है, तो इन पैराग्राफों में लेखा वर्ष 1977 का अर्थ उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1976-77 से लगाया जाएगा।

उस समाचार पत्न प्रतिष्ठान के यारे में, जिनका लेखा वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छः मास भाते हैं।

'वर्ग' से प्रभिप्राय: पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट ग्रुगों के प्रन्सर्गत उल्लिखित किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से हैं।

किसी समाचारपद्म प्रतिष्ठान की 'संकल आय' से श्रीक्षप्रायः प्रतिष्ठान द्वारा श्रपने समाचारपद्म व्यापार के सभी कोनों से प्राप्त श्राय से है, जिनमें इसके समाचारपद्म या समाचारपद्मों का परिचालन श्रीर उनमें दिए गए विज्ञापन भी णामिल हैं। इसमें समाचारपद्म व्यापार में प्राप्त परिसम्पनियों श्रीर श्रजिन राणि में से किए गए निवेणों से श्राय भी शामिल हैं।

परिचालन ग्रीर विकापन के संबंध में श्राय में तालार्य उस राणि में होगा जो वस्तुम: यथांचित कमीणन निकाल देने के पश्वाम् प्राप्त होगी । यथोचित कमीणन है, जो श्रन्तभ: श्रायकर प्राधिकारियों हारा किसी विशेष समाचारपश्च प्रातिष्टान के बारे में स्वाकार किया गया हो । उन मामलों में जहां श्रायकर प्राधिकारियों का ऐसा श्रन्तिम निर्णय उपलब्ध न हो, वहां परिचालन कमीणन श्राय का 28 प्रतिणत ग्रीर विकापन कमीणन 15 प्रतिणत होगा।

## भाग-2

## समाचारपद्म प्रतिष्टानीं का वर्गीकरण

- गैर-पक्षकार समाचारपत्न कर्मचारियों की मजदूरी-दर्ग की निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्न प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण निम्निक्त ढंग में किया जायेगा ।
- ममाचारपम्न प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 1977, 1978 और 1979 के तीन लेखा वर्षों की ग्रौसत संकल भ्राय पर श्राधारित होगा ।
- 4. उत समाचारपत्न प्रतिष्टानों के संबंध में, जिन्होंने उपयुक्त तीन लेखा वर्षों में से दो लेखा वर्ष पूरे कर लिये हैं, उसका वर्गीकरण इत दो वर्षों की श्रौसन सकल श्राय के श्राधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 5. जिस समाचारपत्न प्रमिष्ठान ने उक्त लेखा भवों का केवल एक ही लेखा वर्ष पूरा किया है, उसका वर्षीकरण उस वर्ष की सकल ग्राय के ग्राधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 6. किसी नये समाचारपन्न प्रतिष्ठान, प्रथीत् ऐसे समाचारपत्न प्रतिष्ठान का, जिसे पैरा 3, 4 ग्रीर 5 के उपवन्ध लागू नहीं होते, वर्गीकरण उसके प्रथम लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस वर्ष की सकल ग्राय क भाधार पर होगा।
- 7. उपर्युक्त पैरा 4 से 6 तक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समाचारपत प्रतिष्टान को, जिसका वर्गीकरण दो लेखा वर्षों के भाधार परक्तिया जाता है, उस श्रेणी की ध्रेपेक्षा जिसमें उसे रखा जाना चाहिए, एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा और जिस समाचारपत्र प्रतिष्टान का वर्गीकरण एक लेखा वर्ष के प्राधार पर किया जाता है, उसे दो श्रेणियां नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में उसे श्रेणी-7 से नीचे नहीं रखा जाएगा।
- 8. यदि कोई वर्गीकृत समाचार पत्न प्रतिष्टान ग्रपने पुराने समाचारपत्नों में से किसी एक समाचारपत्न को किसी नये केन्द्र से शुरू करता है, जहां उसका अन्य कोई समाचारपत्न प्रकाशित नहीं होता, तो जहां तक नये

केन्द्र का संबंध है, उस समाचारपक्ष को प्रथम दा लेखा वर्षों के लिए उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा, जिसमें उसे कुल सकल श्राय के श्राधार पर रखा जाता श्रीर वर्गीकृत समाचारपत्र प्रतिष्ठान को, जो ऐसे केन्द्र में कोई नया समाचारपत्र शृद्ध करना है, जहां उसका श्रन्य कोई समाचारपत्र प्रकाणित नहीं होता नये केन्द्र में तीन लेखा वर्षों के लिए वैसे ही नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा। जहां तक नये केन्द्र का संबंध है, किसी भी मामले में उसे श्रेणी 7 से नीचे नहीं रखा जाएगा।

- 9. पैरा-प्राफ 3 में 8 क्ल के उपबन्धों के श्रनुसार निर्धारिक वर्गीकरण उस समय तक बलता रहेगा जब तक कि पैराग्राफ 13 के उपबन्धों के श्रनुसार समाचारपत्र प्रतिष्ठान का पुनवर्गीकरण नहीं हो जाता ।
- 10. यदि समाचारपत्र प्रितिष्टान का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्संप्तरित किया जाता है, तो पैरा-प्राफ 2 से 9 के उपवन्ध ऐसे समाचारपत्र प्रितिष्टानों को लागू हॉगें--मानों पिछले स्वामी के अधीन संगत लेखा वर्षों के संबंध में समाचारपत्र प्रितिष्टान की सकल छ।य नये स्वामी के अधीन उन वर्षों की श्राय हो।
- 11. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को उनकी सकल श्राय के ग्राधार पर निम्नलिखित 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:---

श्रेणी	सकल भाग
1 वी०	25 करोड़ रुपये और उससे अधिक ।
1 Ψ.ο	10 करोड़ रुपये ग्रौर उसमे श्रिथिक नेकिन 25 करोड़ रुपये से कम।
1.	4 करोड़ रुपये और उससे घशिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम।
2.	2 करोड़ रुपये ग्रौर उसमे श्रधिक लेकिन 4 वारोड़ रुपये से फम।
3.	1 करोड़ रुपये श्रीर उससे श्रधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये कम।
4.	50 लाख रुपये श्रीर उससे श्रधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम।
5-	25 लाख रुपये और उससे प्रधिक लेकिन 50 लाख रुपये से कम।
6	10 लाख रुपये ग्रीर उससे ग्रधिक लेकिन 25 लाख रुपये सं कम।
7.	10 लाख रुपये से कम ।

12. यदि उस ममानारपत प्रतिव्वात की जो श्रेणी 7 में नही श्राता विज्ञापन श्राय उसकी सकल श्राय में (विज्ञापन श्राय मिलाकर) 10 प्रक्षिशत से कम है, तो उसे उस श्रेणी में एक श्रेणी नीच रखा जाए, जिसमें वह श्रपनी सकल श्राय के श्राधार पर श्रायेगा।

## पुर्नवर्गीकरण :

13. नियाजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि वह लेखा वर्ष 1982 के परचात् किसी भी समय पिछने तीन लेखा वर्षों की श्रीसत सकल श्राय के ग्राधार पर समाचारपत्र प्रतिस्टान के पुनवर्गीकरण की मांग कर सकता है, बगर्ने कि ऐसा वर्गीकरण तीन सगासार लेखा वर्षों की किसी प्रविध में एक बार से प्रधिक नहीं किया जाना चाहिए।

#### भाग ३

## १४. गैर-पत्रकार समासारपत्र कर्मचारियों की पूर्षिग

## 1. प्रशासनिक कर्मचारी:

- (क) श्रेणी-5, 6 ग्रीर 7 से भिन्त समाचारपक्ष प्रतिष्ठानों के लिए।
- वर्ग 1: महाप्रवन्धक, प्रबन्धक ग्रीर सैकेटरी।
- वर्ष 2: विभागीय प्रबन्धक (जो परिचालन, विज्ञापन विभागों, कार्मिकों प्रादि के प्रभारी है) मुख्य लेखापाल (लेखापाल), जन-सम्पर्क प्रक्षिकारी (श्रंणी 1 वा, 1ए, 1 फ्रोर 2 के समाचारपत्न प्रतिष्ठान)।
- वर्ग 2ए सम्पर्क श्रीप्रकारी, लेखा श्रीधकारी, मुख्य श्रांतरिक लेखा-परीक्षक. सहायक विज्ञापन प्रयत्थक, महायक परिचालन प्रयत्थक श्रीर कार्मिक श्रीधकारी ।
- वर्ग 3 : विभागीय प्रमुख (पांच लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षक) व्यापार श्रनुथाचक विकास प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, वैयक्तिक सहायका (स्टैनों सैकेटरी), सहायक लेखापाल, विशापन प्रति-निधि।
  - नीट: इस भाग में दी गई सिकारियें घ्रिधिनियम में यथा परि-भाषित गैर-पत्नकार समाचार पत्न कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को लागू नहीं होंगी, यद्यपि ये कर्मचारी उपयुक्त 4 वर्गों में शामिल किये गए हैं!
- यन 1: प्राणुलिपिक, सहायक लेखा (तिपिक, पहरा व निगरानी निरीक्षक, खजाची, परिचालन निरीक्षक, विज्ञापन अनुनादक, वरिष्ठ लिपिक (अर्थात् ऐसे लिपिक जिनके कार्य में विशेष प्रकार का कीणत निहित है), लेखा मधीन/गणना मशीन और टेलीप्रिस्टर आपरेटर, क्षेत्र प्रवन्धक और ऐसे व्यक्ति जो शांडिट व्यूरों श्राफ सकुलेशन का कार्य करते हैं, विशापन प्रुफ रीडर, कलाकार (कर्मशियन और प्रोसेस)।
- वर्ग 5 : कनिष्ठ लिपिक, (ग्रथीत् ऐसे लिपिक जो विशापन की स्वीकृति ग्रीर प्रकाणनी की विकी के कार्य सिहत सामान्य लिपिकीय कार्य करने हैं), समयपालक, टाइपिस्ट, टेलिकोन ग्रापरेटर, पता लेखक, स्थागत् अधिकारी, फेकिंग मशीन आपरेटर, कैण्टीन पर्यवेक्षक, किष्ठ कलाकार (कार्माशियल ग्रीर प्रोसेस)।
- वर्ग 6 : बिल क्लकटर, दफतरी या ग्रर्ध-लिपिकीय कार्य करने वाले, चौकीदार श्रीर वितरण चपरासी ।
- वर्ग 7 : चपरासी, सफाई कर्मचारी, बाहक, क्लीनर, कालबाय, कैटीन वाय, पानी वाला, माली, दर्जी, श्रदेली, दर्जीन, मसालची ।
  - (ख) श्रेणी 5, 6 तथा 7 समाच।रपत्र प्रतिष्ठानों के लिए ।
- वर्ग 1: महाप्रयन्थक, प्रबन्धक ग्रार सकेटरी।
- वर्ग 2: विभागीय प्रवस्थक (जो गरिचालन, विशापन विभागों, कार्मिकों धादि के प्रभारी हैं) मुख्य लेखा पाल (लेखापाल)।
- वर्ग 3 : विभागीय प्रमुख (पांच लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षक), व्यापार प्रनुयाचक, विकय प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, वैयिक्तिक सहायक (स्टैनो-सैकेटरी), सहायक लेखापाल, विज्ञापन प्रतिनिधि ।
  - मोटः इस भाग में दी गई सिफारिशें प्रधिनियम में यथा परिभाषित गैर-पक्षकार समाचारपक्ष कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों को लागू नहीं होगी यद्यपि थे कर्मचारी उपर्युक्त 3 वर्गों में शामिल किए गए हैं।

- वर्ग 4: धाशुलिपिक, सहायक लेखा लिपिक, पहरा व निगरानी निरीक्षक, खजांची, परिचालन निरीक्षक, विज्ञापन ध्रनुवादक, विरिष्ठ लिपिक (प्रथान् ऐसे लिपिक जिनके कार्य में विशेष प्रकार का कौणल निहिन हैं), लेखा मशीन/गणना मशीन और टेलीपिण्टर आपरेटर, क्षेत्र प्रवन्धक और ऐसे व्यक्ति, जो ब्राडिट ब्यूरों ब्राफ सर्जुलेशन का कार्य करने हंं, विज्ञापन प्रूफ रीडर, कला-कार (कर्माश्रयल और प्रोसैंस)।
- धर्गं 5 : कनिष्ठ लिपिक, (ग्रथांत् ऐसे लिपिक को विज्ञापन की स्थीकृति
  ग्रीर प्रकाशनों की बिकी के कार्य सहित सामान्य लिपिकीय
  कार्य करते हैं), समय-पालक, टाइपिस्ट, टेलीफोन ग्रापरेटर,
  पता लेखक, स्थागत् श्रीप्रकारी, फेंकिंग मशीन ग्रापरेटर, कैण्टीन
  पर्यवेक्षक, कनिष्ठ कलाकार (कम्णियल ग्रीर प्रोसैस)।
- वर्ग 6: श्रिल कलक्टर, दफ्तरी या ग्रर्ध-लिपिकीय कार्य करने याल. भौकीदार और वितरण चपरासी ।
- क्यों 7: चपरासी, सफाई, कर्मचारी, बाहक, क्लीनर, कालबाय, कैण्टीन-बाय, वाटरबाय, माली, दर्जी, प्रदेशी, दर्जीन, मरालची ।

II. सारे समाचारपत्न प्रतिष्ठानों के लिए कारखाना स्टाफ:

- वर्गे 1: ए श्रीर श्री ग्रेड सुपरवाइजर, एयर कंडीशन प्लाण्ट सैकेनिक, आर्में श्री याईडर, मुख्य प्रेस विश्वापन सहायक, कलर एंचर, फिल्म इंपोजिस्टर, लाइमो मैकिनिक, लाइनो श्रापरेटर, माइको-फिल्म तकनीणियन, माइकोफिल्म यूनिट सहायक, मोनो मैकेनिक, मोनो-आपरेटर, मांटर मैकेनिक, आफसेट मशीनमैन, श्राफरैट मैकेनिक, श्राफसेट प्रिण्टर, प्राफसेट रिटचर, फोटोग्राफर (प्रोसेस), प्रेस विश्वापन सहायक, ग्रिंटर (फोरमैन कंपोजिंग सुपरवाइजर), रिप्रोफोटोग्राफर, रोटरी मैकिनिक, सीनियर पेस्टर, वरिष्ट मृद्रक, सीनियर प्रिन्टर, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक (वंपोजिंग, साफ्ताहिक कार्य भीर श्रन्थ श्रनुभाग) टी० टी० एम० श्रापरेटर, कैमरामैन (ग्राफसेट), सीनियर मेकेनिक।
- ए० पी ॰ एल ॰ धापरेटर सहायक कलर प्रिन्टर, सहायक ले-वर्ग 2: आउट मैन, सहायक फीरमैन, सहायक मुद्रक, ब्लाफ रूम सहायक, ब्लाक रूम भैन, कैमरा ग्रापरेटर, कलर प्रिन्टर, कान्टैक्ट आपरेटर, कन्वेयर स्टाइकर भगीन मैन, संगोधक, उप फौरमैन (गलोटाइन), इन्प्रेबर, इन्लाजेंर भ्रापरेटर, फाइलिंग सहायक. फालांगमैन, ग्रेनिंग मशीनमैन, हाफ टान ऐचर, हैंडिंग मैन, इम्पोजर, जांएनर, जूनियर लाइनो मैकेनिक, कनिष्ठ मुद्रक, लुडलो आपरेटर, मेकअप मैन, पेज मैन, धातु मुद्रक, आपरेटर कलर (उच्च कीशल प्राप्त), फोटोग्रव्युग्नर मशीनमैन, फोटो. लैटरिंग मुसीन श्रापरेटर, प्रासैस सहायक, प्रोसैस प्रिन्टर, प्राफिंग मशीन मैन (श्राफ सैट), रोलस्टार मशीन मैन, रोटरी मणीन हैडमैन, रोटरी मणीन मैन (सामान्य) रोटरी मणीन मैन, सारंग, स्टीरिश्रो ब्लाकमैन, स्टीरिश्रो कास्टर, स्टोरिश्रो कास्टिंग मैन, स्टीरियों कास्टिंग हैंडमैन, स्टीरियों फायरमैन, स्टीरिभ्रो मोल्डिंग मैन, स्टोनहैंड, जूनियर मेकेनिक ।
- सुप 3: एयर कंडीशन प्लाण्ट क्लीनर, सहायक मुकदम, सहायक प्रिटिंग मशीनमैन (सभी वर्ग), कास्टर, खढ़ई, चार्ज हैण्ड (पैलेशिया), चिपर या राउटर, फलर वर्क प्रूफिंग प्रंममेन, कापीहोल्डर, कटर, मादिकल मिस्स्री, डार्क रूम सहायक, ज़इबर, ई-1-राड प्रापरेटर, यिजली मिस्स्री फिटर, हैपरमैन, हैण्ड कपोजिटर, हैण्ड प्रेसमैन, कास्टर, मशीनमैन, (सिवाय रोटरी मशीनमैन), मशीनमैन (प्रिटिंग के सिवाय) मैंगलमैन, मैंसन, मैंटल कास्टर, मिस्स्री, मोनोकास्टर, मोल्डर, न्यूज दफ्तरी, प्राफ-इंकमैन, प्रापरेटर (ब्लैक ग्रीर बाइट), पेन्टर, प्लेट मैकर (ब्लैक ग्रीर वाइट), नलसाज, रोलरमैकर, रोटरी मुकदम, स्थित मशीनमैन, विरुट्ठ घार्ज हैण्ड, साइन राइटर, स्टीर मुकदम, टर्नर, वायरमैन, बेस्डर, स्टीरिग्रोमैन।

- पूप 4: सहायक मशीनमैन, महायक फिटर, महायक वेल्डर, सहायक विजली मिस्त्री, सहायक टर्नर (5 वर्ष की सेवा वाले सभी), ल्हार, रसोद्या, फीट्य मशीनमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडिलमैन,लाइनएचर
- ग्रुप 5: बालर मुकदम, धारमैन, जिल्ह्यमाज, केस कम क्लीनर, कलर वक्षे परीक्षक काउंटर, धक्तरी, घोबी, फीडर, क्लाईबाय, गैंकी प्रैसमैन, हृदिलदार, हैंड चपरासी, इंटरले कटर, जमादार, नाक्षक-ग्रापंतर, लैंड सेस्टर, लिपट मैन, लाइनों क्लीनर, लाक-प्राप गैन, माउस्टर, मोनो क्लीनर, नंबर्र, पैकर, पेपरमैन, प्लेट ग्राइंडर, प्रूक पुल्लर, रील माइंडर, रोलरमैन, ग्रार्थ कुशल बालर, स्टोरपेपर काउंटर, स्टिचर, बोलर (रोटरी क्लीनर), ग्रन्य ग्रार्थ कुशल परिचारक, क्लीनर ग्रीर हैल्पर, बाहे उनका जो भी नाम हो।

थुप 6 : बालर, बाईडिंग बाय, मजपूर, रील लोडर श्रीर धन्नोडर, दीलीमैन।

15. उपर्युक्त वर्ष ऐसे वर्ग हैं, जो श्रामतौर पर समाचारपन्न प्रतिष्ठानों में पाए जाते हैं । कुछ समाचारपन्न प्रतिष्ठानों ने श्रन्य वर्ग सृजित किए हैं, जो प्रतिष्ठानों के लिए विशेष सृषिधा वाले हैं श्रीर जिसे श्रन्य प्रतिष्ठानों द्वारा साधारणतथा श्रतिवार्य नहीं समझा जाता । जहां किसी प्रतिष्ठान में किसी विशेष वर्ग को किसी उच्चतर वर्ग में पहले ही रखा गया है, इसे निम्नतर वर्ग में नही रखा आएगा ।

16. किसी गमाचारपक्ष प्रतिष्ठान के लिए यह घिनिशायं नहीं है कि वह उपर्युक्त थगों में निर्दिष्ट किसी बगे या सभी वगों के कर्मचारियों को नियो- जित करे। कुछ वगों के कार्य को मिलाया जा सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी को उस उच्चतम वगें का गमझा जाएगा, जिसके कार्य मामलीर पर उसके द्वारा किए जाते हैं। भ्रन्य मामलों में, किसी कर्मचारी द्वारा की जाने वाली मुख्य उ्युटियों ने कर्मचारी के वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण करने समय पर या अनियमित या नैमित्तिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

#### भाग-IV

#### पारिश्वशिक

17. मजदूरी वेतनमान भीर ग्रंड: विभिन्न श्रीणयों के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित क्षिन्न-भिन्न ग्रुपों के गैर-पत्रकार ममाचारपत्र कर्म-चारियों को इससे संख्यन तालिका-1 में दिए गए बैननमानों के अनुसार प्रति महि मूल बेनन दिया जाना चाहिए।

## मंहगाई भता:

18. वर्तमान निर्धारित मंहगाई भना, परिवर्ती महंगाई भना धीर मुल मजदूरी को, जिसमें सरकार के बायेण तारीख 1-4-1977 द्वारा दी सई शंतरिम राहायता शामिल है, श्रीखल भारतीय श्रीमत उपभोक्ता मृत्य मूचकांक 400 (1949=100) के साथ, जो 1-1-1979 से शुरू होने वाले ययं के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ता देने का घाधार है, और सूनकांक संख्या 425 (1949 = 100) के माथ जो 1-1-1980 से गुरू होने धारे बये के लिए परिवर्ती महंगाई भना देन का प्राधार है, जेसी भी स्थिति हो, जोड़ दिया गया है। श्रेणी 1 थीं, 1ए 1, 11 धीर III में रखे गए समाचार-पक्ष प्रतिष्ठानों के कर्ममारियों के बार में संगोधित जेतनमान ग्रौर महैगाई भत्ते के लागू होने की संगत तारीख 1-10-1979 है और ग्रन्य प्रतिष्ठानों के कर्मणारियों के लिए सगक्ष तारीख 1-10-1980 है। नया परिवर्ती महंगाई भत्ता पुराने भक्ते के स्थान पर संबंधित कर्मचारियों के लिए इन दो तारीखों से दिया जाएगा । तथापि नए परिवर्ती महंगाई भन्ने की गणना करते समय 1949=100 ब्राधार की पुरानी सीरीज को छोड़ दिया जाएगा ग्नीर 1960 == 100 भ्राधार की सीरीज को भ्रपनाया जाएगा । नए परिन वर्ती मंहगाई भक्ते में 1960 = 100 सीरीज के उपभोक्ता मृत्य सूचकांक मं 6 प्त्राटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा । इसमें त प्वाइण्टों के प्रत्येक गरिवर्तन के लिए 5 रापये की दर से पहली अप्रैल भौर पहली अवनुबार को अर्खे वार्षिक आधार पर संगोधन किया जाएगा। महंगाई भन्ने में मजदूरी स्नेवों के साथ भी परिवर्तन किया जाएगा। जैसा कि सिफारिशों के साथ संलग्न नालिया II में दिखाया गया है।

#### भाग-∨

#### अन्य भसे:

## 19(क) मकान किराया भत्ताः

इसके साथ संलग्न तालिका III में निर्दिग्ट मकान किराया भना भी इसमें उल्लिक्ति समाचारपत्र प्रनिष्ठानों द्वारा संबंधित जोनों में नैनान अपने कर्मजारियों को दिया जाएगा। बणर्से कि:

- (1) जहां किया कर्मचारी का किसी समाचारान्त्र प्रतिष्टान द्वारा रिहायणी श्रावास दिया गया है, वहां कोई मकान किराया भत्ता देय नही होगा।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भन्ना दिया जा रहा है, तो उसका समायोजन इस उपबन्ध के धर्धान देय मकान किराया भन्ने की राणि में किया जाएगा।
- (3) यदि कोई समायारपत्र प्रतिष्ठान किसी निर्धि में किसी कर्मचारी की धोर मे कोई राणि जमा करता है ताकि कर्मचारी प्रपत्ता रिहायणी धावाम बना मके, तो ऐसी राणि का समायोजन इस उपबन्ध के ध्रधीन देव मकान किराया भर्स में किया जाएगा ।

## (ख) राव्रिपारी भना:

इस के साथ संलग्न सालिका IV में निर्दिष्ट समाचारपत्र प्रतिप्टानों डारा उक्त तालिका में दर्शीई गई दरों पर श्रपने कर्मचारियों को राख्नि-पारी भत्ता दिया जाएगा, वशर्त कि यदि किसी कर्मचारी को राजि-पारी भत्ता नकद या जिन्स या दोनों रूप में पहले से मिलना है, तो उसका या उसके मूख्य की राणि का समायोजन इस उपबन्ध के श्रधीन देय राशि में किया जाएगा ।

## भाग VI

## 20. फिटमैण्ट नियम :

- (1) फिटमेंट नियमों के प्रयोग के लिए "क्रमंचारी" में गैर-पत्रकार समाचारपत्र "कर्षवारी" प्रभिन्नेत है।
- (2) जिसी कर्मचारी की "वर्तमान परिजव्धियों" से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 श्रीर 425 जैसी भी स्थिति हो, (श्राधार 1949-100) पर जनका मूल बेनन, निर्धारित महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता तथा गैर-समाचारपळ कर्मचारियों के गर्बंच में भारत सरकार के ध्वम मंत्रालय द्वारा की गर्ब प्रधिमुचना गरील पहली प्रश्रेत, 1977 के धनुसरण में दी गई श्रात्तरिम गह्याहा (नवर्ष भुगतान द्वारा), जो वैयन्तिक रूप में लागू है, श्रांभेषेत्र होगी।
- (3) (क) किथी वर्षनारी की "प्रतिरिक्त परिलिव्धियों" से "वर्तमान परिलिव्धियों" के खलावा ऐसी परिलिव्धियों प्रभिन्नेत हैं, जिनका उत्केख नियम (2) में किया गया है, जो मूल मजदूरी महंगाई भने या प्रतिरिक्त सहायान में बुद्धि के रूप में समाचारपद प्रतिष्ठानों द्वारा सामूहिक सीदाकारी, समझीन या पंचाट के फनरवरण दी गई है।
- (ख) शिसी कर्मचारी के "प्रतिरिक्त प्रानी" से किन्हीं भागिक भुगतानों से प्रभिष्ठेत है, चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो किसी विणिष्ट प्रयोजन में संबंधिय न हों और न ही बेनन या महंगाई भन्ने में, किसी संशोधन के लिए समायोजिन करने हेनु स्वीकार किए गए हों।
- (4) "संशोधित वैतनमान" से प्रभिन्नेत इन निकारियों के अनुमार किसी कर्मचारी को लागू बेतनमान से होगा।

- (5) संगोधित वेनन्सान और महंगाई भक्ता श्रेणी 1 बी, Iए, I, II श्रीर III के बारे में पहली श्रक्तूबर, 1979 से लागू होगा। श्रेणी IV, V, VI श्रीर VII के बारे में संगोधित बेननमान और महंगाई भला पहली श्रक्तूबर 1980 में लागू होगा। इन नारीखों को इसके पण्यात "संगत नारीखा" के रूप में निविष्ट किया जाएगा।
- (त) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के साथ गंगत तारीख से मंशोधित वेसनमान में लाया जायेगा धौर उपयुक्त स्टेज पर उस वेमनमान में उसका वेसन निर्धारित किया जाएगा, जो स्थिति के अनुसार या तो प्रारम्भिक नए वेमनमान के न्यूनसम या प्रारम्भिक वेसनमान में श्रीधक पर होगा।
- (7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियाँ संगोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है, परन्तु संगोधित वेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं है, तो उसके बेतन को उसके अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- (8) इसके श्रमावा प्रत्येक कर्मचारी को संगत तारीख से पूर्व के पुराने बेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की मेबा पूरी करने पर संशोधित बेतनमान में एक बेयन वृद्धि दो जाएगी। ऐसी बेतनबृद्धियां की कुल संख्या दो से श्रीधक नहीं होगी।

बणर्ते कि---

- (1) किसी भी कर्मचारी को संगोधित वेतनमान के प्रधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा।
- (2) किसी भी सूरत में फिटमैंट या इन निकारियों में निहिष्ट उपबन्धों के लागू होने के परिणामस्वरुप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राशि को कम नहीं किया जाएगा; शेष राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक बेतन समझा जाएगा, जिसे भावी धेतन-चूळियों में खपा लिया जाएगा।
- (9) (क) इन सिकारियों का उन गतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन पर नियम (3) (क) में निर्विष्ट श्रनिरिक्त परिजिब्धयां दी गई थीं।
- (ख) नियम 3(ख) में निर्दिष्ट "प्रसिरिक्त भक्ते" वैयन्तिक वेशन" समग्रे जाथेंगे जो भविज्य में संगोधित वेशनमानों की भावी वेशनवृद्धियों में खपा लिए जाएंगे।
- (10) इन सिकारिशों को लागू करने संबंधी सरकारी श्राधसूचना के प्रकाशन की तारीख के छ. भाह के भीतर प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने बर्तमान बेननमान ग्रीर "बर्तमान परिलब्धियों" को रखने या संगत तारीख से संशोधिन बेननमान में ग्राने के लिए ग्रामा विकल्प बेगा।
- (11) पिछले मजदूरी बोर्ड के श्रनुसार "वर्तमान परिलब्धियां" श्रीर परिवर्ती महंगाई भन्ना उस समय तक दिया जाता रहेगा, जब सक अर्मनारी नियम (10) के अधीन श्राना विकल्प नहीं देशा।
- (12) जय जिली समाजारपत्र प्रितिष्टान को उपर्युक्त पैरा 13 के प्रक्तिगत पुनः वर्गीकृत किया जाता है तब कर्नवारी की उस श्रेणी के उपयुक्त संगोधित वेक्तमान में फिट्ट किया जाएगा। यदि मूल बेतन उस श्रेणी के संगोधित वेक्तमान की स्टेज से मेल नहीं खाता, तो वर्गीकरण के बढ़ जाने पर कर्मचारी का बेतन अपले उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और वर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का बेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल बेवन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्गमान मूल बेवन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्गमान मूल बेवन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्गमान के रूप में समझा जाएगा या इसे मिवष्य की वेक्त वृद्धियों में खपा विया जायेगा।
- (13) जब किसी धर्मचारी की संगत तारीखों की, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी बेन्समान में फिट फिया जाता है तब वह कर्मचारी उस तारीख से समुचित बेननमान में बेतनबृद्धि का हकवार होगा ।

- 21. गैर-पलकार समाचारपत्न कर्मचारी को उसकी शिक्षुत ग्रविधि के दौरान उस पद के मूल बेतन और महंगाई भन्ने का 60 प्रतिशत वजीका मिलेगा जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- 22. किसी विणेष गमाचारपत्र प्रतिष्ठात को लागू स्थायी प्रादेशों के उपबन्धों के प्रध्यांन किसी गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचार्ग को एक यर्थ से अनिधिक प्रविधि के लिए परिवीक्षार्थी के रूप में नियोजित किया जाएगा। इस परिवीक्षाधीन श्रवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान की श्रेणी भीर ग्रुप, जिसमें वह परिवीक्षार्थी हैं, के वर्ग को लागू बेतनमान के त्यूनतम से कम मूल वेतन नहीं दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्य भन्ते भी दिए जाएगे। उच्च पद में परिवीक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी के मामले में, यदि यह उच्च पद के त्यूनतम बेतन से अधिक बेतन पा रहा है, तो उसे परिवीक्षाधीन श्रवधि के दौरान निचले पद के वेतन के प्रतिरिक्त उच्च पद के त्यूनतम बेतन का 10% मिलेगा।

लागू होने की तारीख:

- 23(1) संशोधित धेतनमानों भ्रौर महंगाई भक्ते के संबंध में सिकारियों संबंधित समाचारपत्र प्रतिष्ठात के बारे में पैरा 20(5) के अनुसार उन्हें लागू सगत नारीकों से प्रभावी होगे।
- (2) गेंप सिकारिशें केन्द्र सरकार के उस ध्रादेश की नारीख से लागू होंगी जो इन सिकारिशों की लागू करने के लिए धारा-12 के ध्रधीन जारी किया जाएगा।

## बकाया राशियों का भुगतान :

24 पेरा 20(5) में व्यवस्थित पूर्वपेक्षी तारीख से लागू होने के परिणामस्थरण देय बकाया राणियां, यदि कोई हों, का भुगतान दो किस्तों से प्रधिक किस्तों में नहीं किया जाना चाहिए। यह भुगतान प्रधिनियम की धारा 12 के अयोग केम्ब्रीय सरकार के आवेण के प्रकाणन की तारीख से नौ मास के भीतर किया जाना चाहिए।

तालिका 1

## गैर-पन्नकार प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियो का ग्रुप	वेतनमान	वर्षे
1 बी	1	कोई बेतनमान नहीं ।	
25 करोड़ रुपये और उससे ग्रधिक)	2	1140-50-1340-75-1640-90-1910-110-2240 €o (4) (4) (3) (3)	14
	217	990-45-1170-60-1110-70-1620-85-1875 $\epsilon_0$ (4) (4) (3) (3)	1 -
	3	\$10-40-970-45-1150-50-1350-55-1570 %s (4) (4) (4) (4)	1 6
	4	770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 %o (4) (4) (4) (4)	10
	5	670-27-778-30-898-33-1030-35-1170 % (4) (4) (4) (4)	10
	6	610-14-680-15-755-16-819-17-887 ₹o (5) (5) (4) (4)	18
	7	550-13-615-14-685-15-745-16-809 To (5) (5) (4) (4)	18
1 V,	1	कोई बंतनमान नहीं ।	
10 करोड़ रुपये श्रीर उससे श्रधिक लेकिन	2	$1090-50+1290-70-1570-85-1825-100-2125$ $\xi_0$ (4) (4) (3) (3)	14
25 करोड़ रुपये में कम)	2ए	940-45-1120-55-1340-65-1535-80-1775 $60$ (4) (4) (3) (3)	14
	3	770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 To (4) (4) (4) (4) (4)	10
	4	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 % (4) (4) (4)	16
	5	640-25-740-27-848-30-968-33-1100 Fo (4) (4) (4) (4)	10

## तासिका-1

## गैर-पत्रकार

## प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों काग्रुप	वेप्तनमान	वर्ष
	6	580-13-645-14-715-15-775-16-839 €0 (5) (5) (4) (4)	18
	7	525-12-585-13-650-14-706-15-766 To (5) (5) (4) (4)	18
I	1	कोई वेतनमान नही	
(4 करोड़ रुपये श्रीर उससे श्रधिक लेकिन 10 करोड़	2	1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 % (4) (4) (3) (3)	1 4
क्०सेकम)	2म्	900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 $\pi \circ$ (4) (4) (3) (3)	14
	3	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 %o (4) (4) (4) (4)	16
	4	700-30-820-35-960-50-1160-55-1380 ম্জ (4) (4) (4) (4)	16
	5,	610-23-702-25-802-27-910-30-1030 % (5) (4) (4) (4)	16
	G	555-12-615-13-680-14-736-15-796 ব০ (5) (5) (4) (4)	18
	7	500-11-555-12-615-13-667-14-723 \$\(\frac{1}{2}\) (5) (5) (4) (4)	18
II	1	1700 रुपये से कम नहीं।	
( 2 करोड़ रुपये घीर उससे	2	840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 To	14
प्रधिक लेकिन 4 करोड़ रुपये से कम)	2 <b>ए</b>	(4) (4) (3) (3) 770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 বত (4) (4) (3) (3)	14
	3	685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 至。 (4) (4) (4) (4)	16
	4	665-30-785-35-925-45-1105-50-1305 to (4) (4) (4) (4)	16
	5	590-21-674-23-766-25-866-27-974 % (4) (1) (4) (4)	16
	6	530-11-585-12-645-13-697-14-753 <b>To</b> (5) (5) (4) (4)	18
	7	475-10-525-11-580-12-628-13-680 % (5) (5) (4) (4)	18
III	1	1500 रुपये से कम नहीं ।	
(एक करोड़ रूपये भौर उससे श्रधिक लेकिन	2	770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 ব <b>ং</b> (4) (4) (3) (3)	14
2 करोड़ रूपये से कम)	2ए,	735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 ₹° (4) (4) (3) (3)	14
	3	665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 % (4) (4) (4) (4)	16

## गैर-पत्रकार

## प्रशासनिक **कर्मचा**री

श्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वैतनमान	বর্থ
111	4	630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 To (4) (4) (4) (4)	16
	5	555-19-631-21-715-23-807-25-907 % (4) (4) (4) (4)	16
	6	500-10-550-11-605-12-653-13-705 % (5) (5) (4) (4)	18
	7	450-9-195-10-545-11-589-12-637 ह० (5) (5) (4) (4)	18
IV	1	1400 रुपये से कम नहीं।	
(50 लाख रूपये धीर उससे धिक लेकिन	2	700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 <b>3</b> (4) (4) (3) (3)	14
एक करोड़ रुपये से कम)	27,	$675 - 30 - 795 - 35 - 935 - 40 - 1055 - 45 - 1190 $ $\pi \circ$ $(4)$ $(4)$ $(3)$ $(3)$	14
	3	600-25-700-30-820-35-960-40-1120 হৃ৹ (4) (4) (4) (4)	16
	4	560-25-660-30-780-35-920-40-1080 % (4) (4) (4) (4)	16
	5	505-17-573-19-649-21-733-23-825 % (4) (4) (4) (4)	16
	6	4659-510-10-560-1160412652 ছ০ (5) (5) (4) (4)	18
	7	425-8-465-9-510-10-550-11-594 to (5) (5) (4) (4)	18
v	1	1300 रुपये से कम नहीं।	
(25 लाख रूपमें श्रीर इससे श्रीधक लेकिन	2	660-30-780-35-920-40-1040-45-1175 % (4) (4) (3) (3)	14
50 आ खारपये से कम)	3	600-25-700-30-820-35-960-40-1120 <b>5</b> 0 (4) (4) (4) (4)	16
	4	540—25—640—30~760—35~900—40~1060 বড (4) (4) (4) (4)	16
	5	460-15-520-17-588-10-664-21-748 % (4) (4) (4) (4)	16
	6	400-9-445-10-495-11-539-12-587 रू (5) (5) (4) (4)	18
	7	350-7-385-8-425-9-461-10-501 ক (5) (5) (4) (4)	18
VI	1	1200 रुपये से कम नहीं ।	
(10 लाख रुपये धौर उससे प्रधिक लेकिन	2	630-30-750-35-890-40-1010-45-1145 To (4) (4) (3) (3)	14

## गैर-पत्रकार

## प्रशासनिक कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
25 लाख रुपये से कम्)	3	575-25-675-30-795-35-935-40-1095 % (4) (4) (4) (4)	16
	4	500-20-580-25-680-30-800-35-940 ব০ (4) (4) (4) (4)	16
	5	420-13-472-15-532-17-600-19-676 % (4) (4) (4) (4)	16
	6	3758-4159-460-10-500-11-544 হ৹ (5) (5) (4) (4)	18
	7	325-6-355-7-390-8-422-9-458 % (5) (5) (4) (4)	18
VII	1	1150 रुपये से कम नहीं ।	
(10 लाख रुपये से कम)	2	605-30-725-35-865-40-985-45-1120 % (4) (4) (4) (4)	14
	3	540-25-640-30-760-35-900-40-1060 <b>%</b> o (4) (4) (4) (4)	16
	4	480-20-560-25-660-30-780-35-920 ব৹ (4) (4) (4) (4)	16
	5	410-11-454-13-506-15-566-17-634 % (4) (4) (4) (4)	16
	6	355-7-390-8-430-9-466-10-506 হ৹ (5) (5) (4) (4)	18,
	7	300-5-325-6-355-7-383-8-415 ए० (5) (5) (4) (4) कारखाना कर्मचारी	18
µबी	1	770-35-910-50-1110-60-1350-70-1560 <b>T</b> o	15
(25 करोड़ रुपये ग्रीर	•	(4) (4) (4) (3)	* 0
जससे मधिक)	2	$700-30-820-40-980-50-1180-60-1420 \   \   \   \   \   \   \   \ $	16
	3	675-30-795-35-935-45-1115-50-1315 <b>₹</b> ∘ (4) (4) (4) (4)	16
	4	650-30-770-35-910-40-1070-45-1250 ₹o (4) (4) (4) (4)	16
	5	600-25-725-27-860-29-976-31-1100 € (5) (5) (4) (4)	18
	6	550-13-615-14-685-15-745-16-809 হ৹ (5) (5) (4) (4)	18
107	1	735-35-875-45-1055-55-1275-65→1470 ₹°	
1ए (10 करोड़ रुपये भौर		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15
उससे घधिक लेकिन 25 करोड़ रुपये से		670-30-790-35-930-45-1110-55-1330 <b>50</b> (4) (4) (4) (4)	16
कम)	3	645-30-765-35-905-40-1065-45-1245 $\checkmark$ (4) (4) (4) (4)	16
1105 GI/80-2			

## गैर-पत्रकार

## कारखामा कर्मधारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	 कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	
	4	620~30-740-35-880-40-1040-45-1220 To (4) (4) (4) (4)	16
	5	570-23-685-25-810-27-918-29-1034 50 (5) (5) (4) (4)	18
	6	525-12-585-13-650-14-706-15-766 % (5) (5) (4) (4)	18
I ( 4 करोड़ रुपये ग्रौर उससे	1	700-30-820-40-980-50-1180-60-1360 $\exists \circ$ (4) (4) (3)	15
ग्रधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम)	2	(4) (4) (5) 640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 হ৹ (4) (4) (4) (4)	16
·	3	615~30~735~35~875~40~1035~45~1210 年。 (4) (4) (4) (4)	16
	4	590-25-690-30-810-35-950-40-1110 न् (4) (4) (4) (4)	16
	5	540-21-645-23-760-25-860-27-968 \(\frac{1}{2}\)	18
	6	500~11~555~12~615~13~667~14~723 % (5) (5) (4) (4)	18
II	I	665-30-785-35-925-45-1105-55-1270 To	15
(वो करोड़ रुपये भीर उससे ग्रधिक लेकिन चार करोड़ रुपये से	2	(4) (4) (3) 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 দ্ত (4) (4) (4) (4)	16
कम)	3	595-25-695-30-815-35-955-40-1115 <b>र</b> ॰	16
	4		16
	5	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18
	6	475-10-525-11-580-12-628-13-680 মৃত (5) (5) (4) (4)	18
III (एक करोड़ रुपये स्रौर	1	630-30-750-35-890-40-1050-50-1209 % (4) (4) (4) (3)	15
ं उससे ग्रधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से कम)	2	5 9 5 - 2 5 - 6 9 5 - 3 0 - 8 1 5 - 3 5 - 9 5 5 - 4 0 - 1 1 1 5 % o (4) (4) (4) (4)	16
	3	570-25-670-30-790-35-930-40-1090 Fo (4) (4) (4) (4)	16
	4	550-25-650-30-770-35-910-40-1070 を。 (4) (4) (4) (4)	16
	5	500-17-585-19-680-21-764-23-856 节o (5) (5) (4) (4)	18
	6	450-9-495-10-545-11-589-12-637 <b>5</b> 0 (5) (5) (4) (4)	18

## गैर-पह्नकार

## कारखामा कर्मचारी

प्रतिष्ठान की श्रेणी	— कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	<u> </u>
IV (50 लाख रुपये <b>मौ</b> र	1	575-25-675-30-795-35-935-50-1085 रू॰ (4) (4) (3)	15
उससे ग्रधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से	2	540-25-640-30-760-35-900-40-1060 % (4) (4) (4) (4)	16
कम)	3	520-25-620-30-740-35-880-40-1040 % (4) (4) (4) (4)	16
	4	500-20-580-25-680-30-800-35-940 To (4) (4) (4) (4)	16
	5	$460-15-535-17-620-19-696-21-780 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	18
	6	425-8-465-9-510-10-550-11-594 % (5) (5) (4) (4)	18
V (25 लाख रुपये ग्रीर	1	490-25-590-30-710-35-850-45-985 % (4) (4) (3) (3)	15
उसमे ध्रधिक लेकिन 50 लाख रुपये से कम)	2	$460-25-560-30-680-35-820-40-980 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	16
	3	$440-20-520-25-620-30-740-35-880 \   \checkmark $ $(4) \qquad (4) \qquad (4) \qquad (4)$	16
	4	420-20-500-25-600-30-720-35-860 % (4) (4) (4) (4)	16
	5	380-13-445-15-520-17-588-19-664 % (5) (5) (4) (4)	18
	6	$350-7-385-8-425-9-461-10-501 \                          $	18
VJ (10 लाख रुपये ग्र <b>ौ</b> र	1	470-25-570-30-690-35-830-40-950 % (4) (4) (3)	15
उमसे प्रधिक लेकिन 2.5 लाखा रुपये से कम)	2	445-20-525-25-625-30-745-35-885 to (4) (4) (4) (4)	16
•	3	425-20-505-25-605-30-725-35-865 ছ০ (4) (4) (4) (4)	16
	4	400-20-480-25-580-30-700-35-840 ₹○ (4) (4) (4) (4)	16
	5	360-11-415-13-480-15-540-17-608 हि॰ (5) (5) (4) (4)	18
	6	325-6-355-7-390-8-422-9-458 % (5) (5) (4) (4)	18
VII (10 लाख रुपयें से कम)	1	445-25-545-30-665-35-805-40-925 <b>t</b> o (4) (4) (4) (3)	15
(10 11 11 11 1	2	415-20-495-25-595-30-715-35-855 €0 (4) (4) (4) (4)	16
	3	390-15-450-20-530-25-630-30-750 ব্ (4) (4) (4) (4)	16
	4	365-15-425-20-505-25-605-30-725 % (4) (4) (4) (4)	16
	5	330-9-375-11-430-13-482-15-542 %° (5) (5) (4) (4)	18
	6	300-5-325-6-355-7-383-8-415 ব্ত (5) (5) (4) (4)	18

## तालिका II

## महंगाई मत्ते की बरें

मूल्य वेतन स्लैब	.,	-				प ( 1 9 से	त्येक वर्ष पहली भ्रप्तैल भ्रीर हुली भ्रक्तूबर को 363 160=100) के सूचकांक त 6 प्याइन्टों की प्रत्येक वृद्धि के लिए दी जाने वाली राशि
300 रुपये तक .							5.00 रुपये
301 से 350 रुपये तक .			-				5.25 ,,
351 से 400 रुपमें तक .							5.50 "
401 से 450 रुपये तक			*	•	•	•	6.00 "
451 से 500 रुपये तक .							6.50 ,,
501 से 550 रुपये तक .		•		•	•		7.00 "
551 से 700 रुपये तक .						•	8.00 "
701 से 1000 रूपये तक	•		•			•	9.00 "
1001 से 1150 रुपये तक	•						9.50 "
1151 से 1300 रुपमें तक		•		-		•	10.00 ,,
1301 से 1600 रुपये तक	•	•		•		•	11.00 "
1601 भीर उससे भधिक रुपये		•	-	-	•	•	11.00 "

तालिका III मकान किराया भक्त की वर्रे

ग्रोन	वेसन	श्रेणी I 'बी'	श्रेणी 1 'ए'	— <u>— — — —</u> श्रेणी−I	#ोणी[I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	300 रु० से 1600 रु० तक 1601 रु० श्रीर इससे श्रीयक	(ऋधिकतम 128२०)	(ग्रधिकतम 112 ६०)		
'बी'					
(ऐसे नगर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के झनुसार 10 साख या इससे झधिक किन्सु 20 साख से कम है)	तक	(भक्षिकतम 112 रु०)			
'सी'					
(ऐसे नगर/महर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के धनुसार 10 लाख से कम है) ।	300 रु० से 1600 रु० सक 1601 रु० भीर इससे अधिक	(म्रधिकतम 96 र०)	वेतन का 5 <b>%</b> (ग्रधिकनम 80 ६०) 80 ६०	येतन का 4 % (प्रधिकतम 64 र०) 64 र०	येतन का 3 % (प्रीधिकतम 48 रु०) 48 रु०

#### तालिका-IV

## राखि पारी मले की बरें

राक्षि पारी भत्ता इस प्रकार दिया जाएगा :---

#### समाचारपत्र प्रतिष्ठान

श्रेणी श्री भौर ए

4 रुपए प्रति रात

श्रेणी [ प्रौर [[

3 रुपये प्रति रात

श्रेणी 🎹

2 भपये प्रति रान

धध्याय IV

सिफारिशें

भाग I

#### प्रारंभिक

#### 1. परिमावा

"समाचार प्रतिष्ठात", "श्रमजीवी पत्नकार" श्रौर "गैर-पह्नकार समा-धारपत्न कर्मचारी" शब्दों का बही श्रर्थ होगा जो श्रमजीवी पत्नकार श्रौर श्रन्य समाचार पत्न कर्मचारी (सेवा की शर्तों) श्रौर प्रकीण उपबन्ध श्रधि-नियम, 1955, जिसे इसके खाद "झिधिनियम" कहा गया है, में दिया गया है। इस भाग की सिफारिशों के प्रयोजन के लिए "समाचारपत्न प्रतिष्ठान" में समाचार एजेंसी शामिल नहीं होगी।

उस समाचारपत्न प्रतिष्ठान के मामले में, जिसका लेखा वर्ष कर्लेडर वर्ष है, "लेखा वर्ष", जो विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, से प्रिम-प्राय यह कर्लेडर वर्ष होगा भीर उस समाचारपत्न प्रतिष्ठान के संबंध में जिसका लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष से भिन्न है, "लेखा वर्ष" से श्रमिप्राय प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से है, जिसका श्राधे से ज्यादा भाग उस विशेष वर्ष में श्राता है।

उदाहरण: यदि किसी समाचारपत्न प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष पहली भप्रैल से मुरू होता है, तो भनुवर्ती पैराप्राफों में लेखावर्ष 1977 का धर्थ ऐसे प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1977-78 में लगाया जाएगा। दूसरी भ्रोर, यदि किसी समाचारपत्न प्रतिष्ठान का लेखा-वर्ष पहली ग्रम्टूबर में मुकू होता है, तो इन पैराग्राफों में लेखा वर्ष 1977 का भर्ष उस प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1976-77 से लगाया जाएगा।

उस समाचारपक्ष प्रतिष्ठान के बारे में, जिसका लेखा वर्ष पहली जुलाई से शुरू होता है, लेखा वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें प्रथम छः मास भाते हैं।

"वर्ष" से प्रभिप्राय पैराग्राफ 14 में विनिदिष्ट ग्रुपों के ग्रंतर्गत जिल्लाखित किसी भी प्रकार के कर्मजारियों से हैं।

किसी समाचारपत्न प्रतिष्ठान की "सकल श्राय" से श्रीभप्राय प्रतिष्ठान द्वारा ग्रापने समाचारपत्न व्यापार से सभी स्नीतों से प्राप्त श्राय से हैं जिसमें इसके समाचारपत्न या समाचारपत्नों का परिचालन श्रीर उनमें दिए गए विज्ञापन भी शामिल हैं। इसमें समाचारपत्न व्यापार में प्राप्त परिसर्मास्तयां ग्रीर श्रीजत राणि में से किए गए निवेशों से ग्राय भी शामिल हैं।

परिचालन भौर विज्ञापन के संबंध में भाय से तालार्य उस राशि से होगा जो वस्तुतः यथोचित कमीणन देने के पश्चात् प्राप्त होगी। यथोचित कमीणन वह कमीणन हैं जो अन्ततः आयकर प्राधिकारियों हारा किसी विशेष समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में स्वीकार किया गया हो। उन मामलों में जहां भायकर प्राधिकारियों का ऐसा मंतिम निर्णय उपलब्ध न हो, वहां परिचालन कमीणन आय का 28 प्रतिणत भौर विज्ञापन कमीणन 15 प्रतिणत होगा।

## भाग II

## समाधारपत्र प्रक्षिष्ठानों का वर्गीकरण

- श्रमजीवी पत्नकारों की मेजदूरी-दरों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्न प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण निम्नांकित देंग से किया जाएगा।
- 3. समाचारपत्न प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 1977, 1978 ग्रीर 1979 के तीन लेखा वर्षों की ग्रीमत सकल ग्राय पर ग्राधारित होगा।
- 4. उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिन्होंने उपर्युक्त तीन लेखावयों में से वो लेखा वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसका वर्गीकरण इन वो वर्षों की औक्त सकल आय के आधार पर निर्धारित किया जान। चाहिए।
- 5. जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान ने उक्त लेखा वर्षों का केवल एक ही वर्ष पूरा किया है, उसका वर्षीकरण उस वर्ष की सकल प्राय के प्राधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 6. िकसी नए समाचारपत्र प्रतिष्ठान, प्रथात् ऐसे समाचारपत्र प्रति-रुठान का, जिसे पैरा 3, 4 भीर 5 के उपबंध लागू नहीं होते, वर्गीकरण उसके प्रथम लेखा वर्ष की समास्ति के पश्चात उस वर्ष की सकल भ्राय के भ्राधार पर होगा।
- 7. उपर्युक्त पैरा 4 से 6 तक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को, जिसका वर्गीकरण दो लेखा-वर्गों के प्राधार पर किया जाता है, उस श्रेणी की प्रपेक्षा, जिसमें उसे रखा जाना चाहिये, एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा घौर जिस समाचारपत्र प्रतिष्ठान का वर्गी-करण एक लेखा वर्ष के प्राधार पर किया जाता है उसे दो श्रेणियां नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में उसे श्रेणी VII से नीचे नहीं रखा जाएगा।
- 8. यिव कोई वर्गीकृत समाचारपत्न प्रतिष्ठान अपने पुराने समाचारपत्नों में से किसी एक समाचारपत्न को किसी नये केन्द्र से मुख् करता है जहां उसका प्रत्य कोई समाचारपत्न प्रजामित नहीं होता, तो जहा तक नए केन्द्र का मसंध है, उस समाचारपत्न को प्रथम दो लेखा वयों के लिए उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जएगा, जिसमें उसे कुख सकल आय के प्राधार पर रखा जाता और वर्गीकृत समाचारपत्न प्रतिष्ठान को, जो ऐसे केन्द्र से कोई नया समाचारपत्न गुरू करता है, जहा उसका प्रत्य कोई समाचार पत्न प्रकाशित नहीं होता, नए केन्द्र में तीन लेखा वर्षों के लिए वैसे ही नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा । जहां तक नए केन्द्र का संबंध है, किसी भी मामले में उसे श्रेणी VII से नीचे नहीं रखा जाएगा।
- 9. पैराग्राफ 3 से 8 तक के उपबंधों के प्रमुसार निर्धारित वर्गीकरण उस समय तक चलता रहेगा जब नक कि पैराग्राफ 13 के उपबंधों के प्रमुसार समाचारपत्न प्रतिष्ठान का पुनवर्गीकरण नहीं हो जाता।
- 10. यदि समाचारपत्र प्रतिष्ठान का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति हार। दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाना है, तो पैराग्राफ 2 से 9 के उपबंध ऐसे समाचारपत्र प्रतिष्ठान को लागू होंगे मानो पिछले स्वामी के ग्रधीन संगत लेखा वर्षों के संबंध में समाचारपत्र प्रतिष्ठान को सकत भाग नये स्वामी के ग्रधीन इन वर्षों की ग्राय हो।
- 11 समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को उनकी मकल प्राय के प्राधार पर निम्नलिखित 9 श्रीणयों में वर्गीकृत किया जाएगा :--

	श्रेणी	सकल घाय	
_	 1		
		25 करोड़ रुपए और उससे अधिक,	—
-	1 <b>Q</b> o	10 करोड़ रुपये मीर उससे मधिक,	लेकिन
		2.5 करोड़ रुपए से कम,	

1	2
Í.	4 करोड़ रुपए भीर उससे श्रधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम
11	2 करोड़ रुपए घौर उससे भ्रश्चिक, लेकिन 4 करोड़ रुपए से कम,
ш	एक करोड़ रुपये ग्रीर अमसे ग्रक्षिक, लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम
IV	50 ला <b>ला ग</b> पये <b>ग्रौ</b> र उससे ग्रधिक, लेकिन एक करोड़ रुपये से कम,
V	25 लाख रुपये ग्रौर उससे ग्रांधक, वेकिन 50 लाख रुपए से कम,
VI	10 लाख रुपये भौर उससे भ्रधिक, लेकिन 25 लाख रुपये से कम,
VII	10 लाख नपये से कम

12. यदि उस समाचारपत्न प्रतिष्ठान की, को श्रेणी VII में नही ग्राता, विज्ञापन भाग उसकी सकल भाग (विज्ञापन भाग निकाल कर) से 40 प्रतिणत से कम है, तो उसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाए, जिसमें वह भपनी सकल भाग के भाधार पर जाएगा।

## पुनवंगीकरण :

13. तियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छुट है कि वह लेखा वर्ष 1982 के पश्चात् किसी भी समय पिछले तीन लेखा वर्षों की ग्रीसत सकल ग्राय के ग्राधार पर समाचारपत्र प्रतिष्टान के पुनर्वगी-करण की मांग कर सकता है, बंगर्ते कि ऐसा वर्गीकरण तीन लगातार लेखा वर्षों की किसी ग्रवधि में एक बार से ग्रिधक नही किया जाना चाहिए।

## भाग III

## श्रमजीवी पत्रकारों की गुपिंग

## 14. I. पूर्णशालिक कर्मवारी

(क) श्रेणी V, VI ग्रीर VII से भिन्न श्रेणी के समाचारपत्र प्रतिष्ठानीं में:--

## भुप 1 : संपादक।

- पुष 1 ए : रेजिडेंट संपादक, सहयोगी संपादक, संयुक्त संपादक, उप-संपादक।
- पूप 1 की: सहायक संपादक, लीडर लेखक, समाचार अ्यूरो के प्रमुख, समाचार संपादक, विशेष संयादवाता।
- ग्रप 2: उप श्रीर सहायक सभाचार संपादक, चीफ रिपोर्टर, प्रमुख
  उप संपादक, खेल-कृद संपादक, वाण्ज्य मंपादक, फिल्म
  संपादक, मैंगजीन संपादक, कार्ट्नकार, सांख्यिकी या प्रनुसंधान
  प्रभाग के प्रमुख, मुख्य समाचार फाटोग्राफर, मुख्य पुस्तकाष्ट्रयक्ष,
  मुख्य सूचकांक सहायक, मुख्य सुलेखकार, मुख्य कलाकार,
  राज्य की राजधानियों में राज्य सरकार के प्रत्यायित प्रधान
  संवाददाता, केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायिन विशेष मंबाददाता
  से भिन्न संवाददाता, श्रीर ग्रन्थ ग्रनुभागीय या बैच प्रमुख,
  जिन्हें उच्च वर्ग में न रखा गया हो।
- प्रुप 2 ए : उप प्रमुख उप संपादक या वरिष्ठ उप संपादक, उप प्रमुख रिपोर्टर या वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाना, वरिष्ठ सुलेखकार, वरिष्ठ कलाकार, वरिष्ठ पुस्तकाहयक्ष तथा वरिष्ठ सुवकाक सहायक।

- प्रुप 3 : उप संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार फोटोग्राफर, कलाकार, मुलेखकार, पुस्तकाष्ट्रयक्ष, सूचकाक सहायक, मुख्य प्रुफ रीडर ।
- प्रुप 4 : प्रूफ रीडर धौर किसी धन्य ग्रुप के धंतर्गत धाने वालों से भिन्त सभी श्रमजीवी पह्नकार, यदि संस्थान द्वारा उन्हें उच्च श्रेणो में न रखा गया हो।
- (ख) श्रेणी V, VI श्रीर VII के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में :--- सुप  $_1$  : संपादक ।
- पुप । वी : सक्ष्यक सपादक, लोडर लेखक, समाचार मंपादक, विशेष संवाददाता ।
- पुप 2 : मुख्य उप संपादक, मृख्य रिपोर्टर, खेल-कृद संपादक, वाणिज्य संपादक, कार्ट्नकार, मांक्यिकीय प्रभाग के प्रमुख, प्रनुसंधान प्रभाग के प्रमुख राज्यों की राजधानी में राज्य सरकार के प्रत्यायित प्रधान संवाददाता, विशेष संवाददाता से भिन्न केन्द्रीय सरकार के प्रत्यायित संवाददाता।
- प्रुप 3 : उप संपादक, रिपोर्टर, संवादवाना, समाचार फोटोग्नाफर, मुलेखकार, कलाकार, पुस्नकाध्यक्ष, सूचकांक सहायक श्रीर मुख्य श्रुफ रीडर।
- प्रुप 4 : प्रूफ रीडर भ्रीर किसी घन्य ग्रुप के घंतर्गत आने वालों से भिन्न मभी श्रमजीयी पत्नकार, यदि संस्थान द्वारा उन्हें उच्च श्रेणी में न रखा गया हो।

(প্রনজীয়ী पत्नकारों के त्रिभिन्न वर्गों की कार्य परिभाषा:—
परिकाष्ट 1 देखें।)

## II. ग्रंशकालिक कर्मचारी:---

"श्रंशकालिक संवाददाना" का श्रर्थ एक ऐसे संवाददाता है जो कि समाचार संस्थान का श्रंश ालिक कर्मचारी हो और जिसका प्रधान व्यवसाय पत्नकारिना हो।

- 15. किसी समाचारपत्न प्रितिष्टान के लिए यह प्रनिवाम नहीं है कि वह उपर्युक्त प्रुपों में निर्दिष्ट किसी वर्ग या सभी वर्गों के कर्मचारी नियो-जित करें। कुछ कार्यों को मिलाया जा सकता है प्रौर ऐसे मामले में कर्मचारी को उसे उच्चतम वर्ग का समझा जाएगा जिस वर्ग का बहं सामान्यतः कार्य करता है। उत्पर पैरा 14 I में उख्तिखित कोई वर्ग, जिसे कोई समाचारपत्न प्रति प्रतिष्ठान उच्चतर वर्ग के रूप में मानता है, जहां तक उस प्रतिष्ठान का संबंध है, उच्चतर वर्ग में बना रहेगा।
- 16 किसी कर्मचारी के प्रधान कर्नच्यों ढारा ही उसके वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसा वर्गीकरण करने समय पद या भ्रानिय-मित या नैमिक्तिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

#### माग IV

## पारिश्विमिक:

## 17 सजबूरी बेतनमान ग्रौर ग्रेड:

विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत प्रतिष्ठानों में नियोजित भिन्न-भिन्न श्रुपों के श्रमजीवी पत्नकारों को इससे संसरन तालिका I में दिए गए वेतनमानों के प्रनुसार प्रतिसाह मूल वेतन दिया जाना चाहिए।

## मंहगाई भत्ताः

18 वर्तमान निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता श्रीर मूल मजबूरी को, जिसमें सरकार के झादेश नारीख 1-4-1977 द्वारा दी गई श्रंतरिम महायता शामिल है, श्रीखल भारतीय श्रीसत उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक 400 (1949=100) के गाथ, जो 1-1-79 में एक होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ता मंहगाई भन्ना देने का छाधार है, ग्रीर सूचकांक संख्या 425 (1949=100) के साथ जो 1-1-1980 से मुरू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता देने का श्राधार है, जैसी भी स्थित हो, जोड़ दिया गया है। श्रेणी 1 बी०, 1ए, 1, II, भीर III में रखे गए समाचारपत्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के बारे में संणोधित बेतनमान ग्रौर मंहगाई भन्ने के लागू होने की संगत नारीख 1-10-1979 है भौर भ्रन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए संगत नारीख 1-1-1980 है। नया परिवर्तन मंहगाई भन्ना पुराने भन्ते के स्थान पर संबंधित कर्मचारियों के लिए इन दो नारोखों से दिया जाएगा। तथापि, नए परिवर्सी मंहगाई भन्ते की गणना करने समय 1949 = 100 शाधार की पुरानी सीरीज को छोड़कर विद्या जाएगा और 1960=100 बाधार की सीरीज को भ्रपनाया जाएगा। नए परिवर्ती मंहगाई भत्ते में 1960= 100 सीरीज उपभोकता मूल्य सुचकांक में 6 प्वांइटों की प्रत्येक वृद्धि या गिरायट के साथ परिवर्तन होगा। इसमें 6 प्वाइटों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 5 रूपये की दर से पहली ग्राप्रैल ग्रीर पहली ग्रक्ट्बर को ग्रार्थ-वार्षिक भ्राधार पर संगोधन किया जाएगा। महनाई भन्ते में मजदूरी स्लेबों के साथ भी परिवर्तन किया जाएगा, जैसा कि सिकारियों के साथ संलग्न तालिका II में दिखाया गया है।

## श्रंशकालिक संवाददासा

19 प्रत्येक प्रंणकालिक संवादवाता को वैसे ही स्तर के पूर्णकालिक संवादवाता को मिलने वाली मूल मजदूरी (मूल वेतन-|-मंहगाई भत्ता) का 1/3 से कम नहीं दिया जाएगा। इसके प्रतिरिक्त, यह प्रवायगी कालम घाधार पर की जानी चाहिए जिसकी वर पारस्परिक बातचीन द्वारा निर्धारित की जाएगी। सर्त यह है कि कोई भी ममाचारपत्र प्रतिष्ठान ग्रंगकालिक संवादवाता पर किमी प्रकार की कोई ऐसी रोक नहीं लगाएगा कि यह एक से प्रधिक समाचारपत्र के लिए काम नहीं करेगा, जब तक कि वह पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं हो जाता।

#### माग V

## अस्य मत्ते :

## 20. (क): मकान किराया भला(:

इसके माथ संनरन तालिका III में निर्देष्ट मकान किराया भत्ता भी उसमें उल्लिखित समाचारपद्म प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित ओनों में तैनात भपने कर्मचारियों को दिया जाएगा। बशर्त कि:----

- (1) जहां किसी कर्मकारी को किसी समाचारपत्न प्रतिष्ठान द्वारा रिहायणी भाषास दिया गया है वहां कोई मकान किराया, भला देव नहीं होगा।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, तो उसका समायोजन इस उपबन्ध के भ्रधीन देय मकान किराया भत्ते की राशि में किया जाएगा।
- (3) यदि कोई समाचारपत्न प्रतिष्ठान किसी विधि में किसी कर्मचारी की ओर से कोई राशि जमा करता है ताकि कर्मचारी भ्रपना रिहायभी ग्रावास बना मके, तो ऐसी राशि का समायोजन इस उपबन्ध के भ्रधीन देय मकान किराए भन्ने में किया जाएगा।

## (का) राति पारी मस्ता

इसके साथ संलक्त तालिका IV में निर्दिष्ट समाचारपक्ष प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त तालिका में दर्णाई गई बरों पर अपने कर्मचारियों को राज़ि पारी भत्ता दिया जाएगा। बजतें कि यदि किसी कर्मचारी को राज़ि पारी भत्ता नगद या जिन्म या दोनों में पहले से मिलता है, उसका या उसके मृख्य की राणि का समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय राणि में किया जाएगा।

#### माग-VI

## 21. फिटमेंट नियम

- (1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" से "श्रमजीबी पक्षकार" अभिश्रेत हैं।
- (2) किसी कर्मेचारी की "वर्तमान परिलब्धियों" से उपभोक्ता मूल्य मूचकांक 400 और 425 जैंसी भी स्थिति हो, (प्राधार 1949=100), पर उनका मूल वेतन, निर्धारित मंहगाई भत्ता, परिवर्ती मंहगाई भत्ता तथा श्रमजीवी पत्नकारों के संबंध में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रधिमूचना नारीख पहली प्रप्रैल, 1977 के प्रनुसरण में दी गई ग्रंतरिम महायना (तदर्थ भृगनान द्वारा) जो वैयक्तिक रूप से लागू है, प्रभिन्नेत होगी।
- (3) (क) किसी कर्मचारी की "ग्रतिरिक्त परिलब्धियों" से "वर्तमान परिलब्धियों" के भलाना ऐसी परिलब्धियों भिभिन्न हैं, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ते या ग्रंतरिम सहायता में वृद्धि के रूप में समाचार प्रतिष्ठानों द्वारा सामूहिक सौवाकारी समझौते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है।
  - (ख) किसी कर्मचारी के "प्रतिरिक्त भक्तो" से किन्ही मासिक भुगतानों से प्रभिन्नेत हैं, चाहें उनका कोई भी नाम हो, किसी विशिष्ठ प्रयोजनों से संबंधित न हो ग्रौर न ही बेतन या मंहगाई भन्ते में किसी संशोधन के लिए समान्योजिन करने हेतु स्वीकार किए गए हों।
- (4) "संशोधित वेतनमान" से प्रभिन्नेत इत सिफारियों के प्रनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान से होगा।
- (5) संशोधित वेतनमान और मंहगाई भक्ता श्रेणी 1 बी, 1ए, I, II और III के बारे में पहली अक्टूबर, 1979 से लागू होगा। श्रेणी IV, V, VI और VII के बारे में संशोधित वेतनमान और मंहगाई भक्ता पहली अक्टूबर, 1980 से लागू होगी। इन नारीखों को अमके पश्चात् "संगत तारीखा" के रूप में निर्विष्ट किया जाएगा।
- (6) प्रत्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के साक संगत तारीला से संगोधित केननमान में नाया जाएगा भौर उपयुक्त स्टेज पर उस केतनमान में उसका बेतन निर्धारित किया जाएगा, जो नियुक्ति के धनुसार या तो प्रारंभिक नए खेतनमान के न्यूनतम या प्रारंभिक बेतनमान से अधिक पर होगा।
- (7) यदि किसी कर्माचरी की वर्तमान परिलिब्धियां संशोधित वेननमान के न्यूनतम से अधिक हैं, परन्तु संशोधित वेननमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं हैं, तो उसके वेतन को उससे अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- (8) इसके धलाना, प्रत्येक कर्मचारी को संगत तारीख से पूर्व के बेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित वेतनमान में एक बेतन वृद्धि दी जाएगी। ऐसी बेतन वृद्धियों की कुल संख्या दो से मधिक नहीं होगी।

## बशर्ते कि:---

- (i) किसी भी कर्मचारी को संगोधिन वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा नहीं मिलेगा।
- (ii) किसी भी सुरत में फिटमेंट या इन सिफारिशों में निकिट्ट उपबन्धों के लागू होने के परिणाम स्थरूप वर्तमान परिलब्धियों की कुल राणि को कम नहीं किया

जाएगा, शेष राशि, यदि कोई हो, को बैयक्तिक वेतन समझा जाएगा जिसे भावी वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाएगा।

- (9) (क) इन सिफारिशों का उन शतौं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर नियम 3(क) में निर्दिष्ट ग्रतिरिक्त परिलब्धियां दी गई थीं।
  - (ख) नियम 3(ख) में निर्विष्ट "अनिरिक्त भने" वैयक्तिक वेतन समझे जाएंगे जो भविष्य में संशोधित वेतनमानों को भावी वेतन युद्धियों में खपा लिया जाएगा।
- (10) इन सिफारिणों को लागू करने सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छ माह के भीनर प्रत्येक कर्मचारी या तो अपने "वर्षमान वेतनमान" और "वर्षमान परिलब्धियों" की रखने या संगत तारीख से संगोधित वेतनमान में आने के लिए अपना विकल्प देगा।
- (11) पिछले मजदूरी बोर्ड के धनुसार "वर्तमान परिलिध्या" घौर परियतीं मंहगाई भत्ता उस समय तक दिया जाता रहेगा जब नक कर्मचारी नियम (10) के प्रधीन ग्रपना विकल्प नहीं देता।
- (12) अब किसी समाचारपत्र प्रतिग्टान को उपर्युक्त पैरा 13 के ग्रंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है, तब कर्मचारी को उस श्रेणों के उपगुक्त संशोधित बेलनमान में फिट किया जाएगा। यदि मुख बेतन उस श्रेणी के संगोधित बेतनमान की स्टेअ से मेल नही खाता, तो वर्गीकरण के बक् आने पर कर्मचारी का बेतन ग्रंगले उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा भीर वर्गीकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का बेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया आएगा। बूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल बेतन को मुरक्षित रखा जाएगा भीर वर्तमान मूल बेतन को मुरक्षित रखा जाएगा भीर वर्तमान मूल बेतन तथा उसके नए वेतन के बीच के भन्तर को वैजितक बेतन के रूप में समझा जाएगा या इसे मिवष्य की बेतन कुखियों में खपा विया जाएगा।
- (13) जब किसी कर्मकारी को, संगत तारीखों को, इन नियमों के उपबन्धों के प्रमुसार किसी बेतनमान में फिट किया जाता है, तब वह उस तारीख से समुचित वेतनमान में बेतन वृद्धि का हकदार होगा।

22. श्रमजीवी पत्नकार को, उसकी शिक्षुत अवधि के दौरान उस पद के मूल बेतन भीर महगाई भत्ते का 60 प्रतिगत बजीका मिलेगा जिसके लिए उससे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

23. किसी विशेष समाचारपन्न प्रतिष्ठान को लागू स्थायी आवेशों के उपश्रंथों के प्रध्यधीन, किसी श्रमजीवी पत्रकार को एक वर्ष से भनिधिक प्रविधि के लिए परिवीक्षार्थी के रूप में नियोजित किया आएगा। इस परिवीक्षाधीन भ्रवधि के दौरान उसे उस प्रतिष्ठान की श्रेणी भौर पुप, जिसमें वह परिवीक्षार्थी है, के वर्ग को लागू वेतनमान के न्यूनतम से कम मूख वेतन नहीं दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्मय भन्ने भी विए जाएंगे। उच्च पद में परिवीक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकार के मामले में, यदि वह उच्च पद के न्यूनतम वेतन से प्रधिक वेतन पा रहा है, तो उसे परिवीक्षाधीन भ्रवधि के दौरान निचले पद के वेतन के प्रतिरिक्त उच्च पद के न्यूनतम वेतन का 10 प्रतिशत मिलगा।

## लागृहोमे की तारीख

24 (1) संगोधित वेतनमानों और मंहगाई भक्ते के सर्वेघ में सिफा-रिशें संबंधित समाचारपत्र प्रतिष्ठान के बारे में पैरा 21(5) के अनुसार उन्हें लागू संगत तारीखों से प्रभावी होगी। (2) पोप सिफारियों केन्द्र गरकार को उस आवेश की तारीख से लागू होंगी जो इन सिफारिणों को लागू करने के लिए धारा 12 के अधीन जोरी किया जाएगा।

## बकाया राशियों का भुगतान

25. पैरा 21 (5) में ध्यनस्थित पूर्विको नारीख से लाग् होने के परिणामस्त्रकथ देव बकाया राणियों, यदि कोई हो, का भुगतान दो किस्तों से श्रधिक किस्तों में नहीं किया जााना चाहिए। यह भुगतान घ्रधिनियम की धारा 12 के प्रधीन केन्द्रीय सरकार के घात्रेशों के प्रकाशन की तारी बासे नी मास के भीतर किया जाना चाहिए।

## अनुसूची I

युप 1

"संपादक" वह व्यक्ति है जो सभाचारपत्र के सम्पादकीय साइड को निर्देश देता है भीर उसका पर्धवेक्षण करता है।

#### ग्रुप-1 क

"रेजीडेंट सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र के सम्पादक के रूप में ऐसे केन्द्र पर कार्य करता है जो समाचार पत्र के प्रकासन के मूल स्थान से भिन्न स्थान पर स्थित है।

"एसोसिएट सम्पादक" या "संयुक्त सम्पादक" या "उप सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सम्पादक की उसके कार्य के सम्पादन में सह्रायता करता है।

## ग्रुप-1बी

"सहायक सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सम्पादक की उसके कार्य के निष्पादन में सामान्यतः टिप्पणियों भीर विचारों के सम्बन्ध में सहायता करता है भीर सम्पादकीय लेख लिखता है तथा भ्रन्य कापी लिखता है जिसमें पुनरीक्षण, टिप्पणी भीर भालीचना शामिल होती है।

"लीडर लेखक" वह व्यक्ति हैं जो नियमित कप से सम्पादकीय लेख लिखता है भौर भ्रत्य कापी भी लिखता है जिसमें पुनरीक्षण, टिप्पणी या भालोचना शामिल होती है।

"समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार विभाग के कार्य को समन्वित करता है तथा उसका पर्यवेक्षण करना है भीर समाचारप**त के** सभी संस्करणों के समाचारों के लिए उत्तरवायी होता है।

"समाचार कार्यालय प्रधान" वह व्यक्ति है जो समाचार का कार्यालय के कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा कार्यालय के सबस्थों को कार्य सौपता है।

"विशेष संवादतता" वह व्यक्ति है जिसके कार्यों में प्रभिक्तात संवाद-वाता के रूप में नियमित रूप से संसवीय, राजनीतिक भौर सामान्य महत्व के सभी समाचारों को सूचित करना धौर उनकी व्याख्या करना शामिल है या भन्यथा केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय या किसी विदेशी केन्द्र या जो एक से श्रीधक राज्यों में या किसी भन्य स्थान पर, जहां उसे ऐसा काम सौपा जाए। नियमित रूप से उसी प्रकार के कार्य करता है।

#### मुप- 2

"उप या सहायक समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सामान्यतः समाचार सम्पादक की उसके कार्य निष्पादन में सहायता करता है स्रौर/या नगर के संस्करण के प्रकाशन का प्रभारी होता है।

"मुख्य रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र में मभी रिपोर्टरों का प्रभारी होता है, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा विश्वायी, राजनीतिक या सामान्य महत्व के सभी समाचारों को नियमित रूप से प्रकाशित करता है भौर उसकी व्याक्या करता है। "मुरुष उप-सर्गादक" बहु वर्षक्त है जो त्युज डेस्क में पारी का चार्ज सम्भालमा है, एक या अधिक उप-सम्पादको को कार्य प्रावटित करता है तथा उनके कार्य का पर्यदेशण करता है और वह सामान्यत समाचार के निर्धारण और समाचार-पत्र में या किसी विशेष संस्करण या उसके भाग में सामान्य प्रदर्णन के लिए उत्तरदायी होता है।

"खेलकृद सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार-पत्न के खेल-कृद अनुभाग का प्रभारी होता है। वह खेल-कृद तथा सम्बद्ध कार्य-कलापों सम्बन्धी समाचार तथा विचारों के कार्य को निपटाता है, वह एक या उससे श्रीधक रिपोर्टरो और एक या उससे श्रीधक उप-सम्पादको को कार्य श्राचंदित करता है और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है और वह सामान्यतः समाचार के स्थान निर्धारण, खेत-कृद समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है।

"वाणिज्य सम्पादक" वह व्यक्ति है जो याणिज्य, विक्त, व्याचार और उद्योग से सम्बन्धित समाक्षार तथा विचारों से सम्बन्धित होता है धौर उन पर टिप्पणियां देता है सथा एक या उससे ध्रधिक रिपोर्टरों को कार्य धार्बाटित करता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है।

"फिल्म सम्पादक" वह ध्यक्ति है जो फिल्मो तथा स्टेज से सम्बन्धित समाचार तथा विचारों के बारे में कार्यवाही करता है और स्टेज तथा स्क्रीत के सम्बन्ध में विशिष्ट कालम या पृष्ट का प्रभागी होता है तथा एक या ग्रिधिक श्रमणीची पस्नकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

ं "मैंगजीन सम्पादक" वह व्यक्ति है जो समाचार के महत्व के साहित्यक या मनोरंजक बातों से सम्बन्धित समाचारों तथा विचारों के बारे में कार्यवाही करता है तथा साहित्यिक या इस प्रकार के ग्रस्य सम्बद्ध सामलों से सम्बन्धित विभिन्द कालमों या पृष्ठ का प्रभागी होता है तथा दो या ग्राधिक श्रमणीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

"कार्टूनकार" वह व्यक्ति है जो कार्टनों तथा व्यंग्य चिन्नों के माध्यम में समाजारों तथा घटनाग्रों के सम्बन्ध में टिप्पणियां देता है ।

"सौदियकी या अनुसंधान प्रभाग का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो सास्थिकीय या अनुसंधान प्रभार का प्रभारी होता है जो किसी विलीय समाचार-पन्न में वाणिज्य, जिल, ज्यापार और उद्योग से सम्बन्धित सामलों पर कार्यवाही करता है और एक या घधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है ।

"मुख्य समाचार फोटोग्राफर" यह व्यक्ति है जो एक या श्रधिक समाचार फोटोग्राफरों को कार्य श्रासिटिय करता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

"मुख्य पुम्नकाध्यक्ष" या "मुख्य इण्डेक्स सहायक" या "मुख्य सुलेख-कार" या "मुख्य कलाकार" वह व्यक्ति है जो क्रमण. एक या प्रधिक पुम्नकाध्यक्षों, इण्डेक्स सहायकों, मुलेखकारों धौर कलाकारों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

## मृप-2 ए

"उप मुख्य उप-सम्पादक" या "विश्वित उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो, मुख्य उप-सम्पादक की इपृटियों के निष्पादन में उसकी नियमित रूप में महायता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।

1105 GI/80-3

"उप मुक्य-निपोर्टर" या "बरिष्ट रिपोर्टर" तह व्यक्ति है जो मुख्य रिपोर्टर की सहायता करता है और उसकी अनुप्रस्थित में उसके स्थान पर कार्य करता है।

"विरिष्ठ मंबाबदाना" या "विशेष श्रीर प्रश्नान मंबाबदाना" से भिन्न एक ऐसा व्यक्षित्र है जिसकी इसूटियों में प्रकाशन के केन्द्र से भिन्न किसी महत्वपूर्ण केन्द्र पर महत्वपूर्ण समाचारों की रिपोर्ट देना शामिल है और जिसके लिए कम से कम पांच वर्ष की सेवा जमरी है।

"विरिष्ठ मुलेखकार", "विरिष्ठ कलाकार", "विरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष" ग्रीर "विरिष्ठ इण्डेक्स सहायक" वे व्यक्ति हैं, जो कमणः मुख्य मुलेखकार, मुख्य कलाकार, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष ग्रीर मुख्य इण्डेक्स सहायक की सहायता करते हैं ग्रीर जिन्होंने कम से कम पाच वर्ष की सेवा की हो ।

ग्रुप 3

"उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सभी प्रकार के समाचारों को प्राप्त करता है, चयन करता है, सिक्षप्त करता है, विस्तार करता है, प्रमुखाद करता है, सम्पादित करता है भीर शीर्षक देता है तथा इन सभी कार्यों में से कुछ कार्य या सभी कार्य कर सकता है।

"रिपोर्टर" वह व्यक्ति है, जो किसी विशिष्ट केन्द्र पर सूचना एकट करता है स्त्रीर प्रस्तुन करता है ।

"संबाददाता" वह व्यक्ति है, जो प्रकाणन केन्द्र में भिन्न किमी केन्द्र में समाजार प्राप्त करता है धीर उसे पार, डाक या किसी भ्रत्य साधन द्वारा भेजना है।

''गमाचार-पस्न फोटोग्राफर'' वह व्यक्ति है जो सार्वजनिक हिन की घटनाओं के समाचार चित्रों के माध्यम से एकव्न करना है ।

"कलाकार" वह व्यक्ति है, जो प्रकाशन के लिए ड्राइंग, ले-श्राउट, नक्से, ग्राफ या इसी प्रकार के भ्रत्य भ्रत्यंकरण, रचनात्मक कला या किसी किस्स के सचित्र दृष्टान्त तैयार करना है। यह इनमें से कुछ कार्य या सभी कार्य कर सकता है।

"मुलेखकार" वह कलाकार है, जो पत्रकारिता सम्बन्धी कार्य करता है और विषयों का सुलेखन भी करता है।

"पुस्तकाध्यक्ष" या "ष्ठण्डैन्स सहायक" वह व्यक्ति है, जो समाचारों भीर विचारों से सम्बन्धित रिकार्ड तैयार करता है भीर उसका भ्रतुरक्षण करता है, जिनका प्रयोग प्रचलित कहानियों के लिए पुष्ठभूमि या फिल्म भ्राऊट के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यक्ति, जो इन कार्यों में से किसी भी कार्य को नहीं करते है, इसकी परिभाषा के भ्रन्तर्गत नहीं आएंगे।

"मुख्य प्रुफ रीडर" वह व्यक्ति है. जो एक या घधिक प्रुफ रीडरों के कार्य का श्रावंटन भीर पर्यवेक्षण करता है तथा पारी का प्रभागि होता है।

ग्रूप-4

"प्रूफ रीइर" वह व्यक्ति है, जो सम्पादक की प्रति के साथ प्रूफ की मुद्रित सामग्री की जांच करता है ताकि मुद्रित सामग्री की सम्पादक की प्रति के साथ पूरी श्रमुरूपता सुनिश्चित की जा सके । वह वास्तविक विमंगतियों, वर्तर्ती की झुटियां, व्याकरण ग्रीर वाक्य वित्यास की जुटियां निकाल सकता है ग्रौर वह उन्हें ठीक कर सकता है या ठीक करवा सकता है ।

## तासिका-॥

## अमजीवी पत्रकार

प्रतिष्टान की श्रेणी	कर्मचारियों का ग्रुप	वेतनमान	वर्ष
141		कोई वेतनमान नहीं ।	
(25 मरोड़ रुपये क्रोर जनसे स्रधिक)	14.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10
	1 भी	1550-120-2030-140-2590-160-3070 ह्रपये (4) (4) (3)	11
	2	1400-90-1760-100-2160-130 2550-150-2850 To (4) (4) (3) (2)	13
	āц'	1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630 Fe (5) (5) (3) (3)	16
	3	1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480 रु (5) (5) (4) (4)	1.8
	4	800- 40- 1000- 45- 1225- 55 - 1445- 65- 1705 ह० (5) (5) (4) (4)	18
1년	I	कोई बेतनमान नहीं ।	
(10 करोड़ रुपये और जससे <b>मधिक</b> , लेकिन	1 <del>ऍ</del>	1700- 140- 2260- 165- 2755- 185- 3310 খ॰ (4) (3) (3)	10
25 करोड़ रुपये से कम	) ामी	1450~110~1890~135~2430~155~2895 হ৹ (4) (4) (3)	11
	2	1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715	13
	2π,	1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 % (5) (5) (3) (3)	16
	3	950-60-1250-70-1600-85-1940-100-2340	18
	4	750-35-925-40-1125-50-1325-60-1565 % (5) (5) (4) (4)	18
I	1	कोई वेतनमान नहीं ।	
(4 करोड़ रुपये और उससे मधिक, लेकिन	Īα	1600-125-2100-150-2250-180-3090 % (4) (3) (3)	10
10 करोड रुपये से कम)	1बी	1350-100-1750-125-2250-150-2700 र (4) (4) (3)	11
	2	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13
	2吋	930-60-1230-80-163 $\frac{9}{3}$ 0-1930-125-2275 $\frac{1}{3}$ 0 (3)	1
	3	900-55-1175-65-1500-80-182 $\sqrt{.05\cdot 2200}  \pi_0$ (5) (5) (4) (4)	18
	4	700-30 · 850-35-1025-45-1205-55-1425 % (5) (5) (4) (4)	1;

# त्रांशिक(-1

## श्रमजीबी पत्रकार

प्रसिष्ठान की श्रेणी	 कर्मचारियं काम्रुप	ं वितनसान	
	1		
( 2 करोड़ रुपये भीर उससे श्रीधक नेकिन	1ए	1400-100-1800-125-2175-150-2625	10
ा करोड़ रुपये से कम)	ાંચી	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11
	2	1300-75-1500 -80- 1820-100-2120- 130- 2380 হি০ (4) (4) (3) (2)	13
	20,	900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 $\pi$ o (5) (5) (3) (3)	16
	3	$850-50-1100-60\cdot1400-75-1700-90-2060$ % (5) (5) (4) (4)	18
	4	650-30-800-35-975-45-1155-50-1355	18
III	1	2,400 रुपये से कम ।	
(एक करोड़ रुपये भौर उससे प्रधिक लेकिन	1ए	1250~90~1610~100~1910~125~2285 % (4) (3) (3)	10
2 करोड़ स्पर्य से कम)	1बी	1200-70-1480-80-1800-100-2100 Fe (4) (4) (3)	11
	2	1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 % (4) (4) (3) (2)	13
	217्	850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 €○ (5) (5) (3) (3)	16
	3	৪০০-35-975 :45-1200-55-1420-65-1680 ছ০ (5) (5) (4) (4)	18
	4	600-25-725-30 875-35-1015-40-1175 % (5) (5) (4) (4)	1 8
IV	1	2,200 रुपये से कम	
(50 लाख रुपते भीर उससे भशिक लेकिन	1ण्	1100-80-1420-90-1690-110-2020 % (4) (3) (3)	10
एक करोड़ रपये से कम)	1बी	1050-50-1250-60-1490-70-1700 % (4) (4) (3)	11
	2	900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 % (4) (4) (3) (2)	13
	207	750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 To (5) (5) (3) (3)	16
	3	615 - 30 - 765 - 40.965 - 55 - 1185 - 60 - 1425 $60$ (5) (5) (4) (4)	18
	4	650-25-675-30-825-35-965-40-1125 % (5) (5) (4) (4)	18

## तालिका-1 🤲

## श्रमजोबी पत्रकार

प्रतिष्टान की श्रेणी	कर्मचारियो कः। ग्रुष	ये <i>पसमान</i>	वर्ष
V.	1	ा,500 रुपर्य से अम	
(25 लाख रुपके श्रीर उससे श्रीधक लेकिन	।बी	900-45 1080-50-1280 55-1445 % (4) (4) (3)	1 1
50 लाखकप्रेसेकास)	2	$8.25 \cdot 10.985 \cdot 45 \cdot 1165 \cdot 50 \cdot 1315 \cdot 55 \cdot 1425  69$ $ \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$	1.3
	3	540 · 25 · 665 · 35 · 815 · 35 · 955 - 40 · 1115 % (5) (5) (4) (4)	11
	-1	500-20-600-25-725-30-845-35-935-50 (5) (5) (4) (4)	18
VI.	I	1,300 रुपये से कम	
(10 लाख रुपये छीर उससे छविक लेखन	1मी	700 40-860 45 10-10-50-1190 % (4) (4) (3)	1 1
25 लाख रुपये से कम )	2	625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 Fo (4) (4) (3) (2)	13
	3	475-(20-575-25-700-(30-820-35-960 元。 (5) (5) (4) (4)	18
	4	45020 -550 -25 -675 -30- 79535 -935 等。 (5) (5) (4) (4)	1 8
VII	1	1,150 रुपये में कम	
(दम लग्छ रुपने से कम)	1र्व।	650-35-790-40-950-45-1085 Fo (4) (4) (3)	11
	2	540-30-660-35-800-40-920-45-1010 % (4) (4) (3) (2)	13
	3	425-20-525-25-650 30-770-35-910 % (5) (5) (4) (4)	1 ;
	-1	$400 \cdot 15 \cdot 475 \cdot 20 \cdot 575 - 25 \cdot 675 \cdot 30 \cdot 795 $ $\checkmark o$ $(5)$ $(4)$ $(4)$	1,

## तालिका-!!

## महर्ताई उन्ते की दरें

	म्ल <b>वे</b> तन स्लै <b>य</b>				प्रशेक वर्ष पहली अप्रैल और पहली अस्तुबर को 36 : ( 1960 == 100) के सुचग्रीक से 6 जोड़न्ट को प्रश्लेक कृद्धि के प्रिटेंग्डी जाने वाली राहिस	
	(1)	_		 -	(2)	
	३०० रुपः सङ्			 	. इ. ०० ह्यो	
	301 में 350 रुखें तक	÷			5.25	
, ,	351 से 400 हपर्ये सक 	•	•	,	5, 50	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					±= 7,5,		
	1						2
·			-				
	401 में 450 भपने तक .	•			1	•	6.00 कमते
	451 में 500 रुपये तक .		-			-	6 50
	501 में 550 रुपये तक .	•	-				7.00 "
	551 में 700 रुपये नक .		•				8.00 ,,
	701 में 1000 रुपो तक .	,					0 00
	1001 से 1150 ध्यायेतक .					-	9.50
	1151 से 1300 मपने तक्						10 00 0
	1301 से 1600 रुपने सक					,	11 00 ,,
	1601 न्पर्य भीर उसमें श्रधिक						11 00
	-			-			

तालिका-Ш

## मकान किराया भूका की दरें

ু কুন্দি কুন্দি	वेसन	श्रेणो िर्बा	श्रेणी-[ए	श्रॅणी − [	 श्लेणी-{{
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"π"	4		•	-	
(ऐसे नगर/गहर जिनकी जनभवत 1971 की जनगणना के घनमार 20 लेखा या इसमें प्रधिक हैं) ।	300 হত में 1600 হত শক 1601 হত ফ্রীন্ছদ্দ স্থায়িক	(স্থামিকন্দ 12৪১০)	बेतन का 7% (ऋधिकतम 112क०) 112 ह०	वेतन का 6 <b>%</b> (अधिकित्म 96 क०) 96 <b>र</b> ०	ইলন কা 5 <mark>0/</mark> (সাফালনম ৪০৮০) ৪০ চত
"बी"					
(ऐसे नगर/महर जिनकी जननंख्या 1971 की जनस्थानी के ब्रनुसार 10 लाख से ब्रिधिक पएन्तु 20 लाख में कम है) ।	410 U.A)	- (अ/)२/भत्म 112 हु०)	वेतन का 6% (फ्राधिकसम् ५६ २०) ५६ २०	बेनत का 5% (प्राधिकतम ४० ६०) ४० ६०	वेत्त कः ±% (श्रधिकःतम 6 1 क०) 6 1 क्
" <del>术</del> "					
(ऐसे नवर/ <i>षहर</i> जिनकी जनसंख्या 1971 की जनवणका के अनुसार 10 लाख से कम है) ।	,300 স্ত্রী (600 স্তুপ্র 1601 স্তুপ্রীস হ্রমন স্থায়িক	(স্থাচিন্দ ৭৪ ছ০)	वेलन का 50% (ऋधिकान 80 र०) 80 र०	ৰিবৰ কারে 4 <mark>0/</mark> (স্থিকিবন ৬৫ ছড) 64 ছড	শুনা কা 3°/ (সাধিকানম 4৪২০) 4৪ হ০

## तासिका-JV

## राक्षि पारी इसे की वर्र

रान्नि पारी भना इस प्रकार दिया जाएगा.--

## समाचारपत्र प्रतिष्ठान

# श्रेणी 1-वी और 1-ए . 1 स्पर्ये प्रति रात श्रेणी 1 प्रीर II . 3 स्पर्ये प्रति रात श्रेणी III और VI . 2 स्पर्ये प्रति रात

## अध्याय-VI

## सिफारिशें

माग- १

## प्रारंमिक

## 1. परिभाषा

"श्रमजीवी पत्रकार" ग्रीर "गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी" ग्रब्दों का यही ग्रर्थ होगा जो श्रमजीवी पत्रकार तथा श्रन्य समाबार-पत्र कर्मचारी (सेवा की णतें) श्रीर प्रकीण उपबन्ध श्रधिनियम, 1955, जिसे इसके बाद "श्रधिनियम" कहा गया है, में दिया गया है।

समाचार एजेंसी एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो समाचार एजेंसी का कार्य करता है भीर इसमें चार भारतीय समाचार एजेंसियों अर्थात् (1) वि प्रैम ट्रस्ट श्राफ इण्डिया, (2) वि यूनाइटेड न्यूज श्राफ इण्डिया, (3) हिन्दुस्तान समाचार, भीर (4) समाचार भारती शामिल होंगी।

"लेखा वर्ष" से अभिप्राय किमी समाचार एजेंसी के संगत विसीय वर्ष से होगा।

"वर्ग" से भ्रभिप्राय पैरा 7 भ्रौर 8 में निर्विष्ट ग्रुपों के भ्रन्तर्गत उक्तिविक्त किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से हैं।

किसी समाचार एजेंसी की "सकल श्राय" से श्रभिप्राय उसकी सभी स्रोतों से कुल श्राय है जिसमें इसकी सेवान्नों के विकय से प्राप्त शुल्क की ग्राय शामिल है।

## भाग II

- 2. समाचार एजेंसियों के प्रक्षकार धौर गैर-प्रक्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों की मजदूरी निर्धारित करने के लिए समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण निस्तांकित ढंग से किया जाएगा।
- 3. समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण 14 अप्रैस, 1978 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की श्रविध में उन द्वारा प्राप्त सकल भ्राय के आधार पर एक नर्ष के लिए गणना की गई औसत नकल श्राय पर पाधारित होगा।
- 4. ऊपर पैराग्राफ 3 के अनुसार निर्धारित श्रेणीकरण उस समय तक रहेगा जब तक कि पैराग्राफ 6 के उपबन्धों के अनुसार समाचार एजेंसी का पुनर्वर्गीकरण नहीं हो जाता ।
- 5. समाचार एजेंसियों को उनकी सकल ग्राय के ग्राधार पर निम्न-लिखित चार श्रेणियों में वर्णीकृत किया जाएगा:—>

श्रेणी	सकल श्राय
I	दो करोड़ रुपये और उससे धिक ।
II	एक करोड़ रुपये श्रौर उससे श्रधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से कम ।
III	50 ला <b>ख</b> रुप्ये और उससे ग्रधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से कम ।
IV	50 लाख रुपये से कम ।

नोट:—बिदेशी समाचार एजेंसियों श्रर्थात् ऐसी एजेसियों की जो भारत में कार्य कर रही हैं और जिनके प्रधान कार्यालय भारत के बाहर है, श्रेणी I समाचार एजेंसियां माना जाएगा।

6 नियोजक या कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक को यह छूट है कि बह संख्या वर्ष 1982 के पश्चात् किसी भी समय पिछले तीन वर्षों की भीसत सकल भाय के आधार पर समाचार एजेंसियों के पुनर्वर्गिकरण की मांग कर सकता है, वणतें कि ऐसे वर्गीकरण की मांग तीन लगातार लेखा वर्षों की किसी भवधि में एक से ग्रधिक बार नहीं की जानी चाहिए।

## भाग-]]]

## 7. पत्रकार कर्मबारियों की पूर्विग

## 1. पूर्णकालिक कर्मधारी

**युप**ि: मुख्य सपादक उप मुख्य गंपादक।

ग्रुप ]-ए प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख सम्पादक तथा धन्य समकक्ष पद ।

ग्रुप I—बी विशेष संवाददाता, विदेणी संवाददाता, ममाचार सम्पादक, र्फाफ रिपोर्टर, राज्य क्यूरो का प्रमुख ।

ग्रुप 2 : मुख्य उप-सम्यादक, अरिष्ठ संवाबाता ।

म्रुप २-ए : वरिष्ठ उप-सम्पादक, वरिष्ठ रिपोर्टर ।

ग्रुप 3 : जप-सम्यादक, संवादाता, रिपोर्टर ।

(परिभाषा के लिए इससे संलग्न ग्रनुसूची देखें)।

## II श्रंशकालिक कर्मकारी

ये ऐसे श्रंणकालिक संवाददाना हैं जिनका प्रधान व्यवसाय पन्नकारिता है।

## 8. गैर-पत्रकार कर्मचारियों की पूर्णिग

युप 1: (क) प्रणासन का प्रमुख, विसीय नियंक्षक-एवं-सैत्रेटरी ।

- (আ) चीफ इंजीनियर, लेखा प्रबन्धक, प्रबन्ध (कार्मिक), प्रबन्धक (अर्धन एवं विकास) ।
- (ग) उप मुख्य इंजीनियर, श्रान्तरिक लेखा परीक्षक धौर समकक्ष प्रणासनिक पर ।

युप 2: क्षेत्रीय इंजीनियर, क्षेत्रीय ट्रांममीणन प्रभारी, लेखा प्रधिकारी, प्रशासन प्रधिकारी और समकक्ष पद ।

शुप 3: ट्रांसिमशन पर्यत्रेक्षक, इंजीनियर, पुस्तकाध्यक्ष, केयर टेकर झौर श्रन्य समकक्ष पद ।

ग्रुप 4: सीनियर श्रापरेटर, वरिष्ठ तकनीशियन, सहायक श्रामुलिपिक ।

ग्रुप 5: लिपिक, टाइपिस्ट, कनिष्ठ तकनीणियन, जूनियर भापरेटर, कुशल कामगार, कार चालक, टेलीफोन ग्रापरेटर ।

श्रुप 6: परिचालक, हवलदार, श्रभिलेखपाल, गेस्टेटनर श्रापरेटर ।

ग्रुप 7ः चपरासी, सफाई कर्मधारी, घौकीदार, माली ।

नोट:- यथिप उपर्युक्त सात ग्रुपों में कर्मचारियों के कई वर्गों का उल्लेख किया गया है तो भी मजदूरी निर्धारण और संगोधन सम्बन्धी सिफारियों केवल ऐसे कर्मचारियों को ही लागू होंगी जो श्रिक्षितियम के अर्धान "गैर-यहकार समाचार कर्मधान" की परिभाषा के श्रन्तगीत आएंगे।

9. किसी समानार एजेंसी के लिए यह प्रतिवार्य नहीं है कि वह उपर्युक्त गुणों में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग या सभी वर्गों के कर्मणारियों को नियोजित करें। पुछ वर्गों के कार्य को मिलाया जा मकता है। ऐसे मामले में कर्मणारी को उस उच्च वर्ग का समझा जाएगा, जिसके कार्य ग्रामतौर पर उसके द्वारा किए, जाते हैं। भ्रत्य मामलों में, किसी कर्मणारी द्वारा की जाते वाली मुख्य ड्यूटियों से कर्मणारी के वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण करते समय पद या प्रतियमित या नैमिशिक कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि कोई समाधार एजेंसी ने पैरा 7 भौर 8 में उल्लिखन वर्गों में में किसी वर्ग को उच्चतर ग्रुप में रखा है, तो वह वर्ग उच्चतर ग्रुप में बना रहेगा।

## नाग-IV

## पारिश्रमिकः

10. विभिन्न श्रेणियों की समाचारपत्न एजेंसियों में नियोजित भिन्न-भिन्न गुणों के श्रमजीवी पत्नकारों श्रीर गैर-पत्नकार समाचारपत्न कर्मचारियों को इससे संनरन नालिका-1 में विए गए बेन्निमानों के प्रनुमार प्रतिमाह मूल बेनन दिया जाना चाहिए ।

## मंहणाई भनाः

11. वर्गमान निर्धारित गंहगाई भन्ने, पिश्वर्ती मंहगाई भन्ने ध्रौर मूल मजबूरी की. जिसमें गरकार के आदेश तारीख 1-4-1977 द्वारा दी गई श्रंतिरम गहायता शामिल है, श्रांखल भारतीय श्रौसत उपभोकता मूल्य गूचकांक 425 (1949 = 100) के साथ, जो 1-1-1980 से गुरू होने वाले वर्ष के लिए परिवर्ती महंगाई भना देने का आधार है, जोड़ दिया गया है। संगोधित बेलनमानों और महंगाई भने के लागू होने की संगत नारीख़ 1-10-1980 है। नया परिवर्ती महंगाई भना पुराने भने के स्थान पर इस नारीख से विधा जाएगा। नथापि, नए परिवर्ती महंगाई भने की गणना करते समय 1949 = 100 आधार की पुरानी सीरीज को छोड़ दिया जाएगा और 1960 = 100 आधार की पुरानी सीरीज को छाड़ विधा जाएगा और 1960 = 100 आधार की मीरीज को अपनाया जाएगा नए परिवर्ती महंगाई भने में 1960 = 100 सीरीज के उपभोक्ता मूख्य सूचकांक में 6 प्लाइंटों की प्रत्येक बुद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा। इसमें 6 प्लाइंटों के प्रत्येक बुद्धि या गिरावट के साथ परिवर्तन होगा। इसमें 6 प्लाइंटों के प्रत्येक परिवर्तन के लिए 5 स्पये की दर से पहली अप्रेल और पहली अक्तूबर को अर्धवाधिक आधार पर संगोधन किया जाएगा। महंगाई भन्ने में मजदूरी स्लेबों के साथ भी परिवर्तन किया जाएगा। जेगा कि सिकारिकों के साथ संलर्ग तालिका II में विखाया गया है।

12 प्रस्येक श्रंशकालिक संवाददाता को वैसे ही स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता को मिलने वाली मृल मजदूरी (मूल वेतन-महंगाई भक्षा) का 1/3 से कम नही दिया जाएगा । कोई समाचार एजेंसी श्रंशकालिक संवाद-दाता पर किसी प्रकार की कोई ऐसी रोक नहीं लगाएगा कि वह किसी श्रन्य समाचार एजेंसी के लिए काम नहीं करेगा, जब तक कि वह पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं हो जाता ।

#### भाग---V

ग्रन्य भत्ते :

## 13. (क) मकान किराया भत्ताः

इसके साथ संलक्ष्म तालिका III में निर्विष्ट मकान किराया भक्ताभी उसमें उल्लिखित समाचार एजेंसियों द्वारा संबंधित ओनों में तैनात अपने कर्मभारियों को दिया जाएगा । बशर्ते कि :--

- (1) जहां किसी कर्मचारी को किसी समाचार एजेंसी द्वारा रिहायणी ग्रावास दिया गया है बहां कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भला दिया जा रहा है, तो उसका समायोजन इस उपबन्ध के अधीन देय मकान किराया भल्ते की राशा में किया जाएगा ।
- (3) यदि कोई समाचार एजेंसी किसी निधि में किसी कर्मचारी की श्रोर से कोई राशि जमा करता है ताकि कर्मचारी श्रवना रिहायणी श्रावास बना सके, तो ऐसी राशि का समायोजन इस उपबन्धके श्रधीन देव मकान किराए भत्ते में किया जाएगा।

## 13(ख) राम्निपारी भनाः

इसके साथ संलग्न तालिका IV में निर्दिष्ट समाचार एजेंसियों हारा उक्त तालिका में दर्शाई गई दरों पर श्रपने कर्मचारियों को राख्नि पारी भक्ता दिया जाएगा, बगर्ते कि यदि किसी कर्मचारी को राद्वि पारी भक्ता नगव या जिन्स या दोनों रूप में पहले से मिलना है, उसका या उनके मूल्य की राणि का समायोजन इस उपबन्ध के श्रधीन वेय राणि में किया जाएगा ।

## भाग—VI

## 14. फिटमेंट नियम :

- (1) फिटमेंट नियमों के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" से समाचार एजेंसी के दोनों "श्रमजीवी पन्नकार" धौर गैर-पन्नकार समा-चार-पत्र कर्मचारी श्रभिन्नेत हैं।
- (2) िकसी कर्मचारी की "बर्तमान परिलिध्ध्यों" से उपभोक्ता मूल्य मूचाफ 425 (श्राधार 1949⇒100), पर उनका मूल बेतन, निर्धारित महंगाई भत्ता, परिवर्ती महंगाई भत्ता तथा फरागर श्रीर गैर-पन्नवार समाचारपर कर्मचारियों के विद्या

- में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रधि-सूचना तारीख, पहली भ्रमेल, 1977 के अनुसरण में दी गई श्रंतरिम सहायता (तदर्थ भुगतान द्वारा) जो वैयक्तिक रूप से लागू है, श्रभिभेत होगी।
- (3) किसी कर्मचारी की "श्रतिरक्त परिलिध्यों" से बर्तमान परिलिध्यों के श्रलावा ऐसी परिलिख्यां श्रीभप्रेत हैं, जिनका उल्लेख नियम (2) में किया गया है, जो मूल मजदूरी, महंगाई भत्ते या श्रंतरिम सहायता में वृद्धि के रूप में समाचार एजेंसियों डारा माम्हिक सौदाकारी समझौते या पंचाट के फलस्वरूप दी गई है।
- (4) "संशोधित वेलनमान" ने प्रभिन्नेत इन सिफारिकों के अनुसार किसी कर्मचारी को लागू वेतनमान होगा ।
- (5) संगोधित चेतनमान धौर महंगाई भक्ता पहली ध्रक्तूबर, 1980 से लागू होगा । इन तारीखों को इसके पश्चात् "संगप्त तारीख" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (6) प्रस्येक कर्मचारी को उसकी "वर्तमान परिलब्धियो" के साथ संगत तारीख में संशोधिय बेतनमान में लिया जाएगा भौर उपयुक्त स्टेज पर उस वेतनमान में उसका बेतन निर्धारित किया जाएगा, जो स्थिति के भनुसार या तो नए बेतनमान के प्रारम्भिक न्युनतम पर या प्रारंक्षिक न्युनतम से श्रधिक पर होगा ।
- (7) यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां संशोधित बेतन-भान के न्यूनतम से श्रधिक है, परन्तु संशोधित बेतनमान की किसी भी स्टेज के बराबर नहीं है, तो उसके बेतन को उससे श्रमले स्तर पर अधिक किया जाएगा।
- (8) (1) किसी भी कर्मचारी को फिटमैंट के परिणामस्यरूप संशोधित केतममान के श्रीक्षकतम से ज्यावा नहीं मिलेगा (2) किसी भी सूरत में फिटमैंट या इन सिफारिशों में निदिष्ट उपबन्धों के लागृ होने के परिणामस्वरूप बर्तमान परिलब्धियों की कुल राणि की कम नहीं किया जाएगा, शेष राशि, यदि कोई हो, को वैयक्तिक बेतन समझा जाएगा जिसे भावी बेतन बुद्धियों में खपा लिया जाएगा।
- (9) इन सिफारिणों का उन णतौं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर नियम (3) में निदिष्ट "प्रतिरिक्त परिलब्धिया" दी गई हैं।
- (10) धन सिफारिशों को लागू करने संबंधी सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के छः साह के भीतर, प्रत्येक कर्मचारी या तो प्रपने वर्तमान वेतनमान श्रीर "वर्तमान परिलब्धियों" को रखने या संगत तारीख से संशोधित वेतनमान में श्राने के लिए अपना विकल्प देगा।
- (11) पिछले मजदूरी बांड के अनुसार "वर्तमान परिलिब्ध्यां" और परिवर्ती महंगाई भत्ता उस समय तक दिया जाता रहेगा जब तक कर्मचारी नियम (10) के अधीन अपना विकल्प नहीं देना।
- (12) जब किसी समाचार एजेसी को उपर्युक्त पैरा 6 के श्रंतर्गत पुनः वर्गोकृत किया जाता है, तब कर्मेषारी को उस श्रेणी के उपयुक्त संगोधित वेतनमान में फिट किया जाएगा 1 यदि मूल वेनन उस श्रेणी के संगोधित वेतनमान की स्टेज से मेल नहीं खाता, तो वर्गोकरण के बढ़ जाने पर कर्मचारी का वेतन श्रंगती उच्च स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा और वर्गोकरण के कम हो जाने पर कर्मचारी का वेतन पिछली स्टेज पर निर्धारित किया जाएगा। दूसरे मामले में उच्चतर वर्तमान मूल वेतन को सुरक्षित रखा जाएगा और वर्गमान मूल वेतन तथा उसके नए वेतन के बीच के श्रंनर को वैयक्तिक वेतन के स्प में समझा जाएगा या उसे भविष्य की वेतन वृद्धियों में खपा दिया जाएगा।

- (13) तब किसी कमंचारी को, सगत तारीख को, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी बेतनसान में फिट किया जाता है, तथ वह उस तारीख से समृचित बेतनसान में बेतन वृद्धि का हकदार होगा।
- 15. समाचार एजेंसी द्वारा शिक्षु के रूप प्रशिक्षित किए जा रहे व्यक्ति को शिक्ष्ता ध्रवधि के दौरान उस पद के मूल वेतन धौर भन्तों का 60 प्रतिगत बजीफा मिलेगा जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- 16. किसी समाचार एजेंसी को लागू स्थायी प्रादेशों के प्रध्यधीन, किसी समाचार एजेंसी पक्षकार या गैर-पत्रकार कर्मचारी को एक वर्ष से प्रमिक्त प्रविध के लिए परिवीकार्थी के रूप में नियोजित किया जाएगा । इस परिवीकाधीन प्रविध के दौराम उसे उस प्रतिष्ठान की धेशी भौर यूप जिसमें वह परिवीकार्थी है, को लागू बेतनसान का न्यूनतम बैतन दिया जाएगा तथा उसे उस पद के लिए ग्राह्मय भन्ने भी दिए जाएगे । यदि कोई कर्मचारी, पत्रकार या गैर-पक्षकार, उच्च पद में परिवीकार्थी के क्या में कार्य करना है, तो उसे परिवीकार्थीन श्रवधि के दौरान निचले पद के अपने बेतन के भ्रतिरिक्त उच्च पद के स्थनम बेतन का 10 प्रतिगत सिलेगा ।

## 17. लागू होने की तारीख

- (1) संशोधित वेतनमानों और मंहगाई भन्ने के संबंध में सिफारिशें पैरा 14(5) में निविष्ट तारीख से प्रभावी होगा ।
- (2) श्रेष सिफारिशें केन्द्र सरकार के उस प्रादेश की तारीख से लागू होगी तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए धारा-12 के भ्रधीन जारी किया आएगा।

## 18. अकाया राशियों का भुगतान

इन सिफारियों के परिणामस्बरूप देय बकाया राणियों, यदि कोई हों, का भुगतान दो किस्तों से अधिक किस्तों में नहीं किया जाना चाहिए। यह भगतान श्रीधिनियम की धारा 12 के श्रधीन केस्त्रीय सरकार के आवेश के प्रकाशन की नारीख से नौ मास के भीतर किया जाना चाहिए।

## अनुसूची

## (पैग-7)

- "मृद्ध्य सम्प(दंक" बह ब्यक्ति है जो किसी समाचार एजेंसी का समग्र रूप से प्रभारी होता है।
- 2. "उप मुख्य सम्भादक" वह व्यक्ति है जो भृद्य सम्भादक की उसकी कार्य निष्पादन में सहायता करता है और उसकी ब्रनुपस्थिति में उभका कार्य करता है।
- 3. "प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो सम्पूर्ण समाचार एजेंसी के केन्द्रीय समाचार डैन्क का प्रभारी होता है घौर जो महानगरीय केन्द्रों प्रथति दिल्ली, कलकत्ता, सम्बद्द घौर मद्रास में समाचार सेवाधों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन धीर निर्वेशन करता है।
- 4. "मस्पादक" बह व्यक्ति है जो समाचार ऐजेंसी की सस्पादकीय साइड को निर्देण देता है झौर उसके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

- 5 "विशेष संवादवाला" बहु श्वक्ति है को केन्द्र सरकार का प्रत्यायिक सर्वादवाला है और जिसके नियमित कार्य संसदीय, राजनीतिक या सामान्य महत्व के समाचारों को भेजना है या महानगरीय केन्द्र में स्थित बहु व्यक्ति है जो भ्राधिक महत्व या राष्ट्रीय या श्रन्तराष्ट्रीय स्वरूप के समाचारों को एकव करते में विशेष योग्यता रखता है।
- 6. "विवेशी संवादधाता" वह व्यक्ति है जो किसी देश या उसके किसी भाग से, जो उसे सौंपा गया है, समाचार भेजने के लिए विदेश मे रहता है।
- 7. ''समाचार सम्पादक'' यह रुपांक है को किसी समाचार दैस्क या किसी महानगरीय केन्द्र में क्षेत्रीय समाचार का प्रभारी है घौर जो विशिष्ठ समाचार संवाद्यों का पर्यवेक्षण, निर्वेशन धौर मार्गदर्शन करता है।
- 8 "राज्य ब्यूरो का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो किसी राज्य की राजधानी में सभी प्रकार के समाचारों को एकव करने के निवेंश देता है भौर उनका मार्गेदर्शन करना है।
- 9. "र्चक रिपोर्टर" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित बह व्यक्ति है जो उस केन्द्र के सभी रिपोर्टरों का प्रभारी है भीर बैद्यानिक, राजनी-निक या सामान्य महत्व के सभी समाचारों की सुखना देता है ।
- 10. "बरिष्ठ संबाददाना" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित ऐसा व्यक्ति है जिसका नियमित कार्य ससदीय, राजनीतिक या सामान्य महत्व के समाचारों को सूचित करना है या ऐसा व्यक्ति है जिसे प्राधिक और वाणिज्यक महत्व, न्यायालयों तथा राष्ट्रीय खेलकृद के समाचारों को भेजने का कार्य नियमित रूप से सीवा गया है।
- 11 "मुख्य उप-सम्पादक" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित ऐसा ब्यक्ति है जो सम्पादकीय डैस्क का किसी पारी में नियमित रूप से प्रभारी होता है, उप-सम्पादकों को कार्य मौपता है भौर उनके कार्य का प्रयंत्रेक्षण करता है।
- 12 "विस्थित उप-सम्पादक" किसी महानगरीय केन्द्र में स्थित ऐता व्यक्ति है जिसे सम्पादकीय डैस्क की मुख्य पारियों के भितिरक्त किसी पारी में नियमित रूप से प्रभारी होता है या जिसके नियमित कार्यों में विशेष पाहकों के लिए समाचार भेजने की तैयारी करने का कार्य भी शासिल है।
- 13. "बरिष्ठ णिणेर्टर" यह व्यक्ति है जिनके नियमित कार्य में राज्य सर-कार के मसाचार या राज्य विधान सभा की कार्यवाही की सूचना देना शामिल है ।
- 14. "उप-सम्मादक" वह व्यक्ति है जो सभी प्रकार के समाजारों को प्राप्त करना है, चयन करना है, संक्षिप्त करना है, सुपरिष्कृत करना है, अनुवाद करना है, सम्पादित करना है और शीर्षक देशा है नथा इन सभी कारों में से कुछ कार्य या सभी कार्य करना है।
- 15. "रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट केन्द्र पर सूधना एकत करता है और देता है।
- 16. "मंबादवाता" वह व्यक्ति है जो किमी केन्द्र से समाचार प्राप्त करता है भौर तार, डाक या किसी ग्रन्य साधन से उन्हें भेजता है।

## तालिका 1

## श्रमजीवी पह्नकार

श्रेणी	ग्रुप	बेसनमान	arti
T	1	कोई वेसनमान नहीं	
( 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक )	Įπ,	$1600-125-2100-150-2550-180-3090 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	10
·	1वी	1350- 100- 1750- 125- 2250- 150- 2700 % (4) (4) (3)	11
	2	1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 (4) (4) (3) (2)	13
	20	950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295% (5) (5) (3) (3)	16
	3	900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 र्घ० (5) (5) (4) (4)	18
n	1	2700 रु० प्रतिमाह से कम नहीं	
1 करोड़ मृत्ये और उसमे अधिक लेकिन 2 करोड	ប្រ	1400-100-1800-125-2175-150-2625 ছ০ (4) (3) (3)	10
रुप्ये से कम)	1र्खी	1335-95-1715-120-2195-140-2615 % (4) (4) (3)	11
	2	1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 % (4) (4) (3) (2)	13
	2₹	900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 वि (5) (5) (3) (3)	16
	3	850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 for (5) (5) (4) (4)	18
m	1	2400 रु० प्रतिमाह से कम नहीं	
(50 लाख ६पये और उससे ग्रधिक लेकिन	1ए	1250-90-1610-100-1910-125-2285 ব৹ (4) (3) (3)	1υ
1 करोड़ रूपये से कम)	Tall.	1200-70-1480-80-1800-100-2100 ₹° (4) (4) (3)	11
	2	1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 Fo (4) (4) (3) (2)	13
	2ए	850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 হ৹ (5) (5) (3) (3)	16
	3	800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 %	18
Ι <b>V</b>	1	(5) (5) (4) (4) 2200 रु० प्रतिमाह से कम नहीं	
(50 लाखारुपये से कम)	1ए	1100-80-1420-90-1690-110-2020 रु० (4) (3) (3)	10
	1बी	1050-50-1250-60-1490-70-1700 % (4) (4) (3)	11
	2	900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 % (4) (4) (3) (2)	13
	20	750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 % (5) (5) (3) (3)	16
	3	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18

## तालिका 1

## गैर-पत्रकार

श्रेणी 	ग्रुप 	बेतनमान	वर्ष
I	1	कोई वेतनमान नही	
2 करोड़ रुपये भीर उससे मधिक)	2	1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 <b>To</b> (4) (4) (3) (3)	1 4
	3	900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 त्र (4) (4) (3) (3)	1 4
	4	735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 €° (4) (4) (4) (4)	16
	5	610-23-702-25-802-27-910-30-1030 ह० (4) (4) (4) (4)	16
	6	555-12~615-13-680-14-736-15~796 ত (5) (5) (4) (4)	18
	7	500-11-555-12-615-13-667-14-723 <b>5</b> (5) (5) (4) (4)	18
п	1	कोई वेतनमान नहीं	
(1 करोड़ रुपये धौर उससे ग्रधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम)	2	840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 रू० (4) (4) (3) (3)	14
	3	770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 रु॰ (4) (4) (3) (3)	14
	4	685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 %o (4) (4) (4) (4)	16
	5	590- 21-674-23-766-25-866-27-974 % (4) (4) (4) (4)	1 6
	6	530-11-585-12-645-13-697-14-753 % (5) (5) (4) (4)	18
	7	475-10-525-11-580-12-628-13-680 50 (5) (5) (4) (4)	18
щ	1	कोई वेतनमान नहीं	
50 ला <b>ख रु</b> पये <b>मौर</b> उससे ब्रधिक लेकिन	2	770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 % (4) (4) (3) (3)	1 -
1 करोड़ रूपयें से कम)	3	735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 रि॰ (4) (4) (3) (3)	1
	4	665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 ব্ত (4) (4) (4) (4)	10
	5	555-19-631-21~715-23-807-25-907 হ৹ (4) (4) (4) (4)	10
	6	500-10-550-11-605-12-653-13-705 % (5) (5) (4) (4)	1
	7	450-9-495-10-545-11-589-12-637 To (5) (5) (4) (4)	1

## 301 से 350 रुपये तक 5.25 " 351 से 400 रुपये तक 5.50 ,, 401 से 450 रुपये तक 6.00 ,, 451 से 500 इपये तक 6.50 ,, 501 से 550 रुपये नक 7.00 ... 551 से 700 रुपये सक 8.00 , 701 से 1000 रुपये तक 9,00 , 1001 से 1150 रुपये तक 9.50 ,, 1151 से 1300 रुपये तक 10.00 , 1301 में 1600 हपये तक 11.00 ,, 1601 ग्रीर उससे मधिक रुपवे 11.00 ,

## तालिका--- Ш मकान किराया भन्ना की दरें

फॅनि	वेतनमान रु०	बेणी[	श्रेणी ~[[
"ए"	300 रु॰ से 1600 रु॰ तक	वेदन का 6%	वेतन का 5%
(ऐसे नगर/णहर जिनकी अमसंख्या 1971 की जनगणना के प्रनुसार 20 लाख या इससे मधिक है।)	1601 रु० घोर इससे घषिक	(मधिकतम १६ ६०) १६ ६०	(মিঘিকলম ৪০ হ৹) ৪০ হ০

जीन	वेतनमान रु०	श्रेणी-I	श्रेणी—II
71	300 रु० से 1600 २० नक	वेसन का 5%	वेतन का 4%
(ऐसे नगर/शहर जिनको जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार		(শ্বধিদ্দেশ্য ৪০ হ০)	(प्रधिकतम 64 रु०)
10 लाख या इसमें प्रधिक किन्तु 20 साख में कम हैं)।	1601 रु० भीर इससे प्रधिक	80 क०	64 至0
"सी''	300 कु० से 1600 हु० तक	वेतन का 4%	वेतम का 3%
(ऐसे नशर/शहर जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार		(মুখিকশ্ম 64 হ০)	(श्राधिकतम ४८ ६०)
10 लाखा से कम है)।	1601 रु० और इसमें अधिक	64 रु०	48 To

#### तालिका - -IV

राज्ञिपारी भले की दरें

राह्मि पारी भक्ता इस प्रकार दिया आएगा :--

#### समाचार एजेंसी

# MINISTRY OF LABOUR ORDER

New Delhi, the 26th December, 1980

S.O. 984(E).—Whereas for the purpose of enabling the Central Government to fix or revise rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and working journalists, two Wage Boards were constituted under section 13C and section 9 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) on the 11th June, 1975 and the 6th February, 1976 by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 1958 and 809, dated the 11th June, 1975 and the 6th February, 1976, respectively;

And whereas, the said two Wage Boards could not function effectively;

And whereas, the said two Wage Boards were replaced by the Tribunals for Non-Journalist Newspaper Employees and Working Journalists by the Central Government in exercise of powers conferred on it by sub-section (1) of section 13DD read with sub-section (1) of section 13AA of the said Act by notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 81(E) and S.O. 82(E), both dated the 9th February, 1979;

And whereas, the aforesaid Tribunals submitted their recommendations to the Central Government on the 13th August, 1980;

And whereas, the Central Government proposes to examine paragraphs 18 of Chapter II and Chapter IV and paragraph 11 of Chapter VI of the said recommendations and until such examination is complete and orders are issued separately in that behalf, the newspaper establishments shall continue to pay dearness allowance at the rates applicable immediately before the date of issue of this Order;

And whereas, the Central Government has accepted the other recommendations of the said Tribunals contained in Chapters II. IV and VI of the recommendations appended in Schedule to this Order, subject to the modifications have inafter specified, being modifications which in the opinion of the Central Government, do not effect important alternations in the character of the other recommendations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provi-

sions Act, 1955 (45 of 1955), the Central Government hereby orders that —

- (a) for \sub-paragrah (9) of paragraph 20 of Chapter II, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which additional emoluments and additional allowances referred to in rule 3(a) and 3(b) were granted."
- (b) for sub-paragraph (13) of paragraph 20 of Chapter II, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules he shall be entitled to count increment in the appropriate scale on the same date on which he was entitled to it immediately before this Order."
- (c) for sub-paragraph (9) of paragraph 21 of Chapter IV, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - (9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which additional emoluments and additional allowances referred to in rule 3(a) and 3(b) were granted."
- (d) for sub-paragraph (13) of paragraph 21 of Chapter IV, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
  - "(13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules he shall be entitled to count increment on the same date on which he was entitled to it immediately before this Order."
- (e) the establishments in all classes of news agencies which are at present paying house rent allowance shall continue to pay the same.
- (f) the recommendations will not affect the quantum of house rent allowance if the same is higher than that admissible in terms of the recommendations in respect of the employees of the news agencies.

## **SCHEDULE**

Recommendations contained in Chapters II, IV and VI.

[No. V-24040/6/80-WB]

R. K. A. SUBRAIIMANYA, Addl. Secy.

## CHAPTER-II

- :... - - - -- ... ...---

## RECOMMENDATIONS

## SECTION—I

## **Preliminary**

## 1. Definitions

The expressions 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee', shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and Other Newspaper Employees, (Conditions of Service) and Miscellancous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'. For the purpose of the recommendations in this Part, 'Newspaper Establishment' shall not include a News Agency.

'Accounting Year' used with reference to a particular year, shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is a calendar year, means that calendar year and shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is different from the calendar year, means that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year.

Example.—If the accounting year of a newspaper establishment starts from April 1st, reference to the accounting year 1977 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to the accounting year 1977-78 of such establishment. On the other hand, if the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st October, reference to the accounting year 1977 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1976-77 of that establishment.

In the case of a newspaper establishment where the accounting year starts from 1st July, the accounting year would be the year in which the first six months fall.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in paragraph 14.

'Gross Revenue' of a newspaper establishment means revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisements in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made by it out of the funds earned in the newspaper business.

Revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission allowed is reasonable. Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax authorities in the case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax authorities is available, the circulation commission shall be 28% and the advertisement commission shall be 15% of the respective revenues.

## SECTION---II

## Classification of Newspaper Establishments

- 2. For the purpose of fixation of wages of the Non-Journalist Newspaper Employees, newspaper establishments shall be classified in the manner hereinafter provided.
- 3. Classification of newspaper establishments should be based on the average gross revenue of 3 accounting years, 1977, 1978 and 1979.
- 4. In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification should be determined on the basis of its average gross revenue for these 2 years.
- 5. In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification should be determined on the basis of its gross revenue for that year.
- 6. A new newspaper establishment i.e., a newspaper establishment to which the provisions of paras. 3, 4 and 5 do not, in terms apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.
- 7. Notwithstanding anything said in paras 4 to 6 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is hable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than class VII.
- 8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication, it shall, so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis of its total gross revenue; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed in a lower class for 3 accounting years at the new centre. In either case, it shall not be placed lower than class VII, so far as the new centre is concerned.
- 9. The classification determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13
- 10. If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 2 to 9 shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenue for those years under the new owner.

11. Newspaper establishments shall be classified under the following 9 classes on the basis of their gross revenue:—

Class	Gross Revenue
ĮΒ	Rs. 25 Crores and above.
IA	Rs. 10 Crores and above and less than Rs. 25 Crores.
I	Rs. 4 Crores and above and less than Rs. 10 crores.
п	Rs. 2 Crores and above and less than Rs. 4 Crores.
Ш	Rs. 1 Crore and above and less than Rs. 2 Crores.
1V	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 Crore.
V	Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs.
IV	Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs.
VII	Less than Rs. 10 lakhs.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment other than one falling in class VII, is less than 40% of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

## Reclassification

13. It shall be open either to the Employer or to the Employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1982 on the basis of the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

## SECTION—III

- 14. Grouping of Non-Journalist Newspaper Employees
- I. Administrative Staff:
  - (a) For Newspaper Establishments other than classes V, VI and VII.
  - Group 1: General Manager, Manager and Secretary.
  - Group 2: Departmental Managers (these who are in-charge of Circulation, Advertisement Departments, Personnel etc.) Chief Accountant (Accountant), P.R.Os. (classes IB, IA, I and II newspaper establishments).
- Group 2A: Liaison Officers, Accounts Officers, Chief Internal Auditor, Assistant Advertisement Managers, Assistant Circulation Managers and Personnel Officers.

Group 3: Sectional Heads (supervising work of 5 clerks), Business Canvassers, Sales Representatives, Head Clerks, Personal Assistants (Steno-Secretaries), Assistant Accountant, Advertisement Representative.

- Note: The recommendations in this Part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newspaper Employees as defined in the Act though included in the above 4 Groups...
- Group 4: Stenographers, Assistants, Accounts Clerks, Watch and Ward Inspectors, Cashiers, Circulation Inspectors, Advertisement Translators, Senior Clerks, (i.e. those whose work involves special skills). Operators of Accounting machines/Calculating machines and Teleprinters, Field Organisers and those doing audit bureau of circulation, Advertisement Proof Readers, Artists (Commercial & Process).
- Group 5: Junior Clerks (i.e., those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and sale of publications, Time Keepers, Typists, Telephone Operators, Addressographers, Receptionists, Franking Machine Operators, Canteen Supervisers, Junior Artists (Commercial and Process).
- Group 6: Bill Collectors, Daftry or those doing semi-clerical work, Watchmen and Delivery Peons.
- Group 7: Peon, Sweeper, Bearer, Cleaner, Callboy, Canteen-boy, Water-boy, Mali, Tailor, Orderly, Durwan, Masalchi.
  - (b) For newspaper establishments classes V, VI and VII.
- Group J: General Manager, Manager and Secretary.
- Group 2: Departmental Managers (those who are in-charge of Circulation, Advertisement Departments, Personnel etc.), Chief Accountant (Accountant).
  - Group 3: Sectional Heads (supervising work of 5 clerks), Business Canvassers. Sales Representatives, Head Clerks, Personal Assistants (steno-secretaries). Assistant Accountant, Advertisement Representative.
- Note: The recommendations in this Part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newspaper Employees as defined in the Act though included in the above 3 Groups.
  - Group 4: Stenographers, Assistants, Accounts Clerks, Watch and Ward Inspectors, Cashiers. Circulation Inspectors, Advertisement Translators, Senior Clerks (i.e., those whose work involves special skills.) Operators of accounting machines/Calculating machines and teleprinters, Field Organisers and those

- doing audit bureau of circulation advertisement Proof Readers, Artists (commercial and process).
- Group 5: Junior Clerks (i.e., those doing normal clerical work including acceptance of advertisements and sale of publications), Time keepers, Typists, Telephone Operators. Addressographers, Receptionists, Franking Machine Operators, Sanitary Inspectors, Canteen Supervisors, Junior Artists (Commercial and Process).
- Group 6: Bill Collectors, Daftary or those doing semi clerical work, Watchmen and Delivery Peons.
- Group 7: Peon, Sweeper, Bearer, Cleaner, Call-boy, Canteenboy, Waterboy, Mali Tailor, Orderly, Darwan, Masalchi.
- II. Factory Staff for all Newspaper Establishments
- Group 1: A & B Grade Supervisor, Air Condition Plant Mechanic, Armature Winder, Chief Press Advertising Assistant, Colouretcher, Film Impositor, Lino Mechanic, Lino Operator, Microfilm Technician, Microfilm Unit Assistant, Mono-Mechanic, Mono-Operator, Motor Mechanic, offset Machineman, Off-set Mechanic, Off-set Printer, Off-set Retoucher, Photographer (Process) Press Advertising Assistant, Printer (Foreman Composing Supervisor). Reprophotographer, Rotary Mechanic, Senior Paster, Senior Printer, Supervisor Supervisor, (composing. weekly job and other sections.), T.T.S. Operator, Cameraman (Off-set). Senior Mechanic.
- Group 2: APL Operator, Assistant Colour Printer Assistant Lavout-man, Assistant Fore-Assistant Printer Block-room Assistant, Block-room Man Camera Printer, Operator. Colour Contact Operator, Conveyor Machine-Striket Deputy Corrector, Foreman (Guilotine), Engraver, Enlarger Operator, Filing Assistant, Flongman, Graining Machineman, Halftone etcher, Headingman, Imposer, Joiner, Junior Lino Mechanic, Junior Printer, Ludlow Operator, Make-up man, Paceman. Metal Printer, Operator Colour (Highly skilled), Photogravure Machineman. Photo Lettering Machine Operator, Process Assistant, Process Printer Proofing Machineman (off-set). Reelstar Machineman, Rotarymachine Hendman, Rotary Machineman (General). Rotary Machineman, Sarang, Sterco Blockman, Sterco Caster, Stereo Castingman, Stereo Casting Head man. Steren Fireman, Steren Mouldingman, Stonehand, Junior Mechanic.

- ಪ್ರವರ್ಣದ ಸಂಪ್ರವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಂದ ಮುಂದು ಮುಂದು ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ Group 3: Air Condition Plant Cleaner, Assistant Mukadam, Assistant Printing Machineman (all categories), Caster, Carpenter, Charge Hand (Palatia), Chipper or Router, Colour work Proofing Pressman, Copy Holder, Cutter, Cycle Mistry, Dark room Assistant, Driver, El-Rod Operator. Electrician, Fitter Hammerman, Compositor, Hand Pressman, Hand Caster, Machineman (except Rotary Machineman), Machineman (other than printing), Mangleman, Mason, Metal Caster, Mistry, Mono-Caster, Moulder, News Daftary, Off-Inkman, Operator (Black & White), Painter, Plate Maker (Black & White), Plumber. Rollermaker. Rotary Mukadani, Ruling Machineman, Senior Chargehand, Sign writer. Store Mukadam, Turner, Wireman, Welder, Stereoman.
  - Group 4: Assistant Machineman, Assistant Fitter, Assistant Welder, Assistant Electrician, Assistant Turner, (all with 5 years Cutting service) Blacksmith, Cook, Machineman, Distributor, Treadleman, Lineetcher.
  - Group 5: Baller Mukadam, Barman, Binder, Case Room Cleaner, Colour-work Examiner, Counter, Daftary, Dhobi, Feeder, Flyboy, Gally Pressman, Havildar, Headpeon, Interlay Cutter, Jamadar, Knife Sharpner, Lead Melter, Liftman, Lino Cleaner, Lock-up man, Mounter, Monocleaner, Numberer, Packer, Paperman, Plate Grinder, Proof Puller, Reel Minder, Rollerman, Semi-skilled Baller, paper counter, Stitcher, Wheeler, (Rotary Cleaner), All other semi skilled attendants. Cleaners, and helpers by ever name they are called.
  - Group 6: Baller, Binding boy, Mazdoor, Reel Loader and Unloader, Trolleyman.
  - 15. The categories mentioned above are those which are generally found in newspaper establishments. Some newspaper establishments have created other categories which are peculiar to the establishments and not generally considered to be essential by other establishments, Where in an establishment any individual category is already fixed in a higher group, it shall not be placed in a lower group.
  - 16. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned in the groups above. Functions of some categories may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation.

#### SECTION IV

#### Remuneration

## 17. Wages, Scales and Grades

Non-Journalist Newspaper Employees of different groups employed in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

## Dearness Allowance

18. The existing fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and Basic Wage including interim relief granted by Government by order dated 1-4-1977 are pegged, as the case may be, at the All India Average Consumer Price Index Number 400 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1-1-1979 and at Index Number 425 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1-1-1980. The relevant date for the application of revised scales of pay and Dearness Allowance is 1-10-1979 in the case of employees of Newspaper Establishments placed in classes IB, IA, I, II and III, and the relevant date for employees of other establishments is 1-10-1980. The new variable Dearness Allowance will be substituted for the old one on these two dates for the respective employees. In calculating a new variable dearness Allowance, however, the old series with base 1949= 100 will be discontinued and the series with base 1960=100 will be followed. The new variable Dearness Allowance will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of the series 1960=100. It will be revised half-yearly on 1st April and 1st October at the rate of Rs. 5 for every variation of 6 points. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached to the recommendations.

## SECTION V

## Other Allowances

## 19.(a) House Rent Allowance

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that:—

- (1) Where an employee is provided residential accommodation by a Newspaper Establishment, no House Rent Allowance will be payable.
- (2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision.
- (3) Where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

## (b) Night Shift Allowance

Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table IV attached herewith by newspaper establishments mentioned therein, provided that where an employee is already in receipt of Night Shift Allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

## SECTION VI

ina sigi gegen i a ares grandia d'ancia muse grundia. Pue

#### 20, Firment Rules

- (1) For the purpose of fitment rules an "employee" means a "Non-Journalist Newspaper Employee."
- (2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his Basic Pay, Fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 400 and 425 as the case may be, (base 1949=100) and Interim Relief (by way of Adhoc payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Non-Journalist Newspaper Employees.
- (3)(a) The "Additional Emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in Basic wage, Dearness Allowance or Interim Relief.
- (b) The "Additional Allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or Dearness Allowance.
- (4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.
- (5) The revised scales of pay and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1979, in respect of classes IB, IA, I, II and III. With regard to classes IV, V, VI and VII, the revised scales of pay and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1980. These dates will be referred to hereinafter as the "relevant dates."
- (6) Every employee with his "Present Emoluments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the relevant date and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.
- (7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.

(8) In addition, every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the pay scale prior to the relevant date. The total number of increments shall not be more than two.

#### Provided that

- (i) no employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- (ii) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.
- (9)(a) These recommendations will not affect the terms and conditions on which 'Additional Emoluments' referred to in Rule (3)(a) were granted,
- (b) 'Additional Allowances' referred to in Rule (3)(b) shall be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments of the revised pay scales.
- (10) Within six months from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his existing pay scale and "Present Emoluments" or to come on the revised pay scale with effect from the relevant date.
- (11) The "Present Emoluments" together with Variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under rule (10).
- (12) When a newspaper establishment is reclassified under para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case, the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the

pay to which he is so fitted may be treated as personal pay and it may be absorbed in future increments.

- (13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant dates, he should be entitled to count increments in the appropriate scale as from that date.
- 21. A Non-Journalist Newspaper Employee, during his apprenticeship period shall be paid a stipend of 60 per cent of the Basic pay and Dearness allowance applicable to the post for which he is being trained.
- 22. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a Non-Journalist Newspaper Employee may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he shall be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. In the case of a Non-Journalist Newspaper employee acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10% of the minimum pay of the higher post in addition to his salary of the lower post during the probationary period.

## Date of Operation

- 23. (1) Recommendations with regard to revised scales of pay and Dearness Allowance shall be operative in respect of the respective newspaper establishment from the relevant dates applicable to it in accordance with Para 20(5).
- (2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

## Payment of Arrears

24. The arrears payable, if any, as a result of tetrospective operation provided in para 20(5) should be paid in not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

TABLE—I
NON JOURNALISTS

## ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment.	Group of employees	SCALES	Years
IB	1	No Scales.	
(Rs. 25 crores and above)	2	Rs. 1140-50-1340-75-1640-90-1910-110-2240 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 990-45-1170-60-1410-70-1620-85-1875 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 810-40-970-45-1150-50-1350-55-1570 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 (4) (4) (4) (4)	16

## TABLE-1-contd.

## NON JOURNALISTS-con'd.

## ADMINISTRATIVE STAFF-contd.

		SCALES	Years
	5	Rs. 670-27-778-30-898-33-1030-35-1170 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 610-14-680-15-755-16-819-17-887 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 550-13-615-14-685-15-745-16-809 (5) (5) (4) (4)	18
IA	1	No Scale.	
(Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	5 2	Rs, 1090-50-1290-70-1570-85-1825-100-2125 (4) (4) (3) (3)	14
	2/\	Rs. 940-45-1120-55-1340-65-1535-80-1775 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1270-55-1490 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 640-25-740-27-848-30-968-33-1100 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 580-13-645-14-715-15-775-16-839 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 525-12-585-13-650-14-706-15-766 (5) (5) (4) (4)	18
I	1	No Scale.	
(Rs. 4 crores and above and less than Rs. 10 crores).	2	Rs. 1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 700-30-820-35-960-50-1160-55-1380 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 610-23-702-25-802-27-910-30-1030 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 555-12-615-13-680-14-736-15-796 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 500-11-555-12-615-13-667-14-723 (5) (5) (4) (4)	18
II	1	Not less than Rs. 1700	
(Rs. 2 crores and above and less than Rs. 4 crores).	2	Rs. 840-40-1000-45-1180-55-1345-65-1540 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 665-30-785-35-925-45-1105-50-1306 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 590-21-674-23-766-25-866-27-974 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 530-11-585-12-645-13-697-14-753 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 475-10-525-11-580-12-628-13-680 (5) (5) (4) (4)	18

## NON JOURNALISTS

## ADMINISTRATIVE STAFF

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
III (Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores)	1 2	Not less than Rs. 1,500 Rs. 770-35-910-40-1070-50-1220-55-1385 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 555-19-631-21-715-23-807-25-907 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 500-10-550-11-605-12-653-13-705 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 450-9-495-10-545-11-589-12-637 (5) (5) (4) (4)	18
1V	1	Not less than Rs. 1,400	
(Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	2	Rs. 700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 (4) (4) (3) (3)	14
	2A	Rs. 675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 560-25-660-30-780-35-920-40-1080 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs, 505-17-573-19-649-21-733-23-825 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 465-9-510-10-560-11-604-12-652 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 425-8-465-9-510-10-550-11-594 (5) (5) (4) (4)	18
v	1	Not less than Rs. 1,300	
(Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	2	Rs. 660-30-780-35920-40-1040-4 <b>5</b> -1175 (4) (4) (3) (3)	14
,	3	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 460-15-520-17-588-19-664-21-748 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 400-9-445-10-495-11-539-12-587 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 350-7-385-8-425-9-461-10-501 (5) (3) (4) (4)	18
VI	1	Not less than Rs. 1200	
(Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs)	2	Rs. 630-30-750-35-890-40-1010-45-1145 (4) (4) (3) (3)	14
	. 3	Rs. 575-25-675-30-795-35-935-40-1095 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 500-20-580-25-680-30-800-35-940 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 420-13-472-15-532-17-600-19-676 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 375-8-415-9-460-10-500-11-544 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 325-6-355-7-390-8-422-9-458 (5) (5) (4) (4)	18

Class of estabishment	Group of employees	SCALES	Years
VII	1	Not less than Rs. 1,150	
(Less than Rs. 10 lakhs)	2	Rs. 605-30-725-35-865-40-985-45-1120 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 540 · 25 - 640 - 30 - 760 - 35 - 900 - 40 - 1060 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 480-20-560-25-660-30-780-35-920 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 410-11-454-13-506-15-366-17-634 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 355-7-390-8-430-9-466-10-506 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 300-5-325-6-355-7-383-8-415 (5) (5) (4) (4)	18

## NON JOURNALISTS

## FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
1B (Rs. 25 crores and above)	1	Rs. 770-35-910-50-1110-60-1350-70-1560 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 700 30-820-40-980-50-1180-60-1420 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 675-30-795-35-935-45-1115-50-1315 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 650-30-770-35-910-40-1070-45-1250 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 600-25-725-27-860-29-976-31-1100 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 550-13 615-14-685-15-745-16-809 (5) (5) (4) (4)	18
IA (Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores).	1	Rs. 735-35-875-45-1055-55-1275-65-1470	15
	2	Rs. 670-30-790-35-930-45-1110-55-1330 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 645-30-765-35-905-40-1065-45-1245 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 620-30-740-35-880-40-1040-45-1220 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 570-23-685-25-810-27-918-29-1034 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 525-12-585-13-650-14-706-15-766 (5) (5) (4) (4)	18
I (Rs. 4 crores and above and less than Rs. 10 crores)	1	Rs. 700-30-820-40-980-50-1180-60-1360	15
	2	Rs. 640-30-760-35-900-40-1060-45-1240 (4) (1) (4)	16
	્રું	Rs. 615-30-735-35-875-40-1035-45-1215 (4) (4) (4) (4)	16
	. 4	Rs. 590-25-690-30-810-35-950-40-1110 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 540-21-645-23-760-25-860-27-968 (5) (5) (4) (4)	18
	.6	Rs. 500-11-555-12-615-13-667-14-723 (5) (5) (4) (4)	18

# NON JOURNALISTS -- - - -

# FACTORY EMPLOYEES

<del>-</del>			
II	1	Rs. 665-30-785-35-925-45-1105-55-1270 (4) (4) (4) (3)	15
(Rs. 2 crores and above and less than Rs. 4 crores)	2	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-45-1230 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs 595-25-695-30-815-35-955-40-1115 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 570-25-670-30-790-35-930-40-1090 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 520-19-615-21-720-23-812-25-912 (5) (5) (4) (4)	18
	6	R <sub>5</sub> , 475-10-525-11-580-12-628-13-680 (5) (5) (4) (4)	18
III (Rs. 1 crore and above and less	1	Rs. 630-30-750-35-890-40-1050-50-1200 (4) (4) (4) (3)	15
than Rs. 2 crores).	2	Rs. 595-25-695-30-815-35-955-40-1115 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 570-25-670-30-790-35-930-40-1090 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 550-25-650-30-770-35-910-40-1070 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 500-17-585-19-680-21-764-23-856 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs 450 -9-495-10-545-11 -589-12-637 (5) (5) (4) (4)	18
IV (Rs. 50 lakhs and above and less	1	Rs. 575-25-675-30-795-35-935-50-1085 (4) (4) (4) (3)	15
than Rs. 1 crore).	2	Rs. 540-25-640-30-760-35-900-40-1060 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 520-25-620-30-740-35-880-40-1040 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 500-20-580-25-680-30-800-35-940 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 460-15-535-17-620-19-696-21-780 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 425-8-465-9-510-10-550-11-594 (5) (5) (4) (4)	18
V (Rs. 25 lakhs and above and less	1	Rs. 490-25-590-30-710-35-850-45-985 (4) (4) (4) (3)	15
than Rs. 50 lakhs).	2	Rs. 460-25-560-30-680-35-820-40-980 (4) (4) (4) (4)	16
	,3	Rs, 440-20-520-25-620-30-740-35-880 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 420-20-500-25-600-30-720-35-860 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 380-13-445-15-520-17-588-19-664 (5) (5) (4) (4)	18
+	6	Rs. 350-7-385-8-425-9-461-10-501 (5) (5) (4) (4)	18

# NON JOURNALISTS

# FACTORY EMPLOYEES

Class of establishment	Group of employees	SCALES	Years
VI (Rs. 10 lakhs and above and les	1 s	Rs. 470-25-570-30-690-35-830-40-950 (4) (4) (4) (3)	15
than Rs. 25 lakhs).	2	Rs. 445-20-525-25-625-30-745-35-885 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 425-20-505-25-605-30-725-35-865 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 400-20-480-25-580-30-700-35-840 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 360-11-415-13-480-15-540-17-608 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 325-6-355-7-390-8-422-9-458 (5) (5) (4) (4)	18
VII (Less than Rs. 10 lakhs).	1	Rs. 445-25-545-30-665-35-805-40-925 (4) (4) (4) (3)	15
	2	Rs. 415-20-495-25-595-30-715-35-855 (4) (4) (4) (4)	16
	3	Rs. 390-15-450-20-530-25-630-30-750 (4) (4) (4) (4)	16
	4	Rs. 365-15-425-20-505-25-605-30-725 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 330-9-375-11-430-13-482-15-542 (5) (5) (4) (4)	18
	6	Rs. 300-5-325-6-355-7-383-8-415 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE II
RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic Pay Slabs	Amounts to be paid for every rise of six points over the index of 363 (1960=100) on 1st April and 1st October every year.
Upto Rs. 300	Rs. 5.00
Rs. 301 to 350	Rs. 5.25
Rs. 351 to 400	Rs. 5.50
Rs. 401 to 450	Rs. 6.00
Rs. 451 to 500	Rs. 6.50
Rs. 501 to 550	Rs. 7.00
Rs. 551 to 700	Rs. 8.00
Rs. 701 to 1000	Rs. 9.00
Rs. 1001 to 1150	Rs. 9.50
Rs. 1151 to 1300	Rs. 10.00
Rs. 1301 to 1600	Rs. 11.00
Rs. 1601 and above	Rs. 11.00

#### TABLE III

#### RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Zone (1)	Pay Rs.	Class IB (3)	Class IA (4)	Class I (5)	Class II (6)
	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	8% of pay. Maximum Rs. 128 Rs. 128	7% of pay. Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay, Maximum Rs. 96 Rs. 96	5 % of pay. Maximum Rs, 80 Rs. 80
'B' (Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1971).	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	7% of pay. Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay. Maximum Rs, 96 Rs. 96	5% of pay. Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay. Maximum Rs. 64 Rs. 64
'C' (Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1971).	Rs. 300 to Rs. 1600 Rs. 1601 and above	6% of pay. Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay. Maximum Rs. 80 Rs. 80	4% of pay. Maximum Rs, 64 Rs, 64	3 % of pay. Maximum Rs. 48 Rs. 48

#### TABLE IV

#### RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift allowance will be paid as follows:

# Newspaper Establishments

Classes IB and IA	-	Rs. 4—per night.
Classes I and II		Rs. 3—per night.
Class III		Rs. 2 per night,

# CHAPTER—IV

# RECOMMENDATIONS

## SECTION I

## **Preliminary**

#### 1. Definitions

The expressions, 'Newspaper Establishment', 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee', shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'. For the purpose of the recommendations in this Part, 'Newspaper Establishment' shall not include a News Agency.

'Accounting Year' used with reference to a particular year, shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is a calendar year, mean that a calendar year and shall, in the case of a newspaper establishment whose accounting year is different from the calendar year, mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year.

Example: If the accounting year of a newspaper establishment starts from April 1st, reference to the accounting year 1977 in the succeeding paragraphs shall be construed as reference to the accounting year 1977-78 of such establishment. On the other hand, if the accounting year of a newspaper establishment starts from 1st October, reference to the accounting year 1977 in these paragraphs will be construed as reference to the accounting year 1976-77 of that establishment.

In the case of a newspaper establishment where the accounting year starts from 1st July, the accounting year would be the year in which the first six months fall.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in paragraph 14.

'Gross Revenue' of a newspaper establishment means revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisements in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made by it out of funds earned in the newspaper business.

Revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the

Class

extent to which the amount of commission so allowed is reasonable. Reasonable commission is one which is finally accepted by the Income Tax authorities in the case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income Tax authorities is available, the circulation commission shall be 28 per cent and the advertisement commission shall be 15 per cent of the respective revenues.

## SECTION II

# Classification of Newspaper Establishments

- 2. For the purpose of fixation of wages of Working Journalists, newspaper establishments shall be classified in the manner hereinafter provided.
- 3. Classification of newspaper establishments should be based on the average gross revenue of 3 accounting years 1977, 1978 and 1979.
- 4. In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforesaid 3 accounting years, its classification should be determined on the basis of its average gross revenue for these 2 years.
- 5. In the case of a newspaper establishment which have completed only one year of the said accounting years, its classification should be determined on the basis of its gross revenue for that year.
- 6. A new newspaper establishment i.e., a newspaper establishment to which the provisions of paras 3, 4 and 5 do not, in terms, apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.
- 7. Notwithstanding anything said in paras 4 to 6 above, a newspaper establishment which is classified on the basis of 2 accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than class VII.
- 8. Where a classified newspaper establishment starts one of its old newspapers from a new centre where it has no other newspaper publication, it shall, so far as the new centre is concerned, be placed for the first 2 accounting years one class below the class in which it would be liable to be placed on the basis of its total gross revenue; and a classified newspaper establishment which starts a new newspaper from a centre where it has no other newspaper publication, shall be similarly liable to be placed in a lower class for 3 accounting years at the new centre. In either case, it shall not be placed lower than class VII, so far as the new centre is concerned.
- 9. The classification determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 to 8 shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 13.
- 10. If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paragraphs 2 to 9 shall

apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenue for these years under the new owner.

11. Newspaper establishments shall be classified under the following 9 classes on the basis of their gross revenue:

Gross Revenue

IB	Rs. 25 Crores and above,
ΙA	Rs. 10 Crores and above and less than Rs. 25 Crores.
I	Rs. 4 Crores and above and less than Rs. 10 Crores.
П	Rs. 2 Crores and above and less than Rs. 4 Crores.
Ш	Rs. 1 Crore and above and less than Rs. 2 Crores,
IV	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 Crore,
V	Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs.
VI	Rs. 10 lakhs and above and less than Rs.

VII Less than Rs. 10 lakhs.

25 lakhs.

12. If the advertisement revenue derived by a newspaper establishment, other than one falling in class VII, is less than 40 per cent of its gross revenue reduced by advertisement revenue, it should be placed in the class next below that in which it would fall on the basis of its gross revenue.

## Reclassification

13. It shall be open either to the Employer or to the Employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after the accounting year 1982 on the basis of the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

## SECTION III

# Grouping of Working Journalists

# 14. I. Full time employees:

- (a) In newspaper establishments of classes other than classes V, VI and VII.
- Group I. Editor.
- Group 1A. Resident Editor, Associate Editor, Joint Editor, Deputy Editor.
- Group 1B. Assistant Editor, Leader Writer, Chief of News Bureau, News Editor, Special Correspondent.

- Deputy or Assistant News Editor, Chief Group 2. Reporter, Chief Sub-Editor, Sports Editor, Commercial Editor, Film Editor, Magazin Editor, Cartoonist, Chief of Statistical or Research Division, Chief News Photographer, Chief Librarian, Chief Index Assistant, Chief Calligraphist, Chief Artist, Principal Correspondent in State State capitals accredited 10 the Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent and other sectional or batch heads, not placed in a higher category.
- Group 2A. Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Senior Calligraphist, Senior Artist, Senior Librarian and Senior Index Assistant.
- Group 3 Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Artist, Calligraphist, Librariau, Index Assistant, Chief Proof Reader.
- Group 4. Proof Reader and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.
  - (b) In newspaper establishments of classes V, VI and VII:—
- Group 1. Editor.
- Group 1B. Assistant Editor, Leader Writer, News Editor, Special Correspondent.
- Group 2. Chief Sub-Editor, Chief Reporter, Sports Editor, Commercial Editor, Cartoonist, Chief of Statistical Division, Chief of Research Division, Principal Correspondent in State Capitals accredited to the State Government, Correspondent accredited to the Central Government other than a Special Correspondent.
- Group 3. Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Calligraphist, Artist, Librarian, Index Assistant and Chief Proof Reader.
- Group 4. Proof Reader and all Working Journalists other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment.

(For functional definitions of various categories of Working Journalists, Sec Schedule 1)

## II. Part-time Employees:—

'Part-time Correspondent' means a Correspondent who is a part time employee of a newspaper establishment and whose principal avocation is that of journalism.

15. It is not obligatory for a newspaper establishment to employ any or all of the categories mentioned 1105 GI/80-6

in the groups above. Some of the functions may be combined, in which ease the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. Any of the categories mentioned in para 14 I above which is treated by any newspaper establishment as belonging to a higher group shall, so far as that establishment is concerned, continue in the higher group.

16. The principal duties performed by an employee should determine the category of such employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation.

#### SECTION IV

#### Remuneration

## 17. Wages, Scales and Grades

Working Journalists of different groups employed in different classes of newspaper establishments should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

#### Dearness Allowance

18. The existing fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and Basic Wage including interim relief granted by Government by order dated 1st April, 1977 are pegged, as the case may be, at the All India Average Consumer Price Index Number 400 (1949 = 100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1st January, 1979 and at Index Number 425 (1949=100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year commencing 1st January, 1980. The relevant date for the application of revised scales of pay and Dearness Allowance is 1st October, 1979 in the case of employees of Newspaper Establishments placed in classes IB, IA, I, II and III and the relevant date for employees of other establishments is 1st October, 1980. The new variable Dearness Allowance will be substituted for the old one on these two dates for the respective employees. In calculating the new variable Dearness Allowance, however, the old series with base 1949 = 100 will be discontinued and the series with base 1960 = 100 will be followed. The new variable Dearness Allowance will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of the series 1960 = 100. It will be revised half-yearly on 1st April and 1st October at the rate of Rs. 5 for every variation of 6 points. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached to the recommendations.

# Part-time Correspondents

19. Every part-time Correspondent shall be paid not less than ½rd of the basic wage (Basic pay+D.A.) applicable to a full-time Correspondent at similar level. In addition, payment should be made to him on column basis, the rate to be settled by mutual negotiations. Provided that no newspaper establishment shall put any restriction on a part-time Correspondent that he will not work for more than one newspaper unless he is appointed full time.

# SECTION V

## Other Allowances

# 20. (a) House Rent Allowance:

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be newspaper establishments by mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a newspaper establishment, no House Rent Allowance will be payable. (2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision. (3) where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

# (b) Night Shift Allowance

Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table IV attached herewith by newspaper establishments mentioned therein, provided that where an employee is already in receipt of Night Shift Allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

# SECTION VI

# 21. Fitment Rules:

- (1) For the purpose of fitment rules an "employee" means a "Working Journalist".
- (2) The "Present Emoluments" of an employee shall mean his basic pay, Fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 400 and 425 as the case may be, (base 1949=100) and Interim Relief (by way of ad hoc payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Working Journalists.
- (3) (a) The "Additional Emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "Present Emoluments" referred to in rule (2) granted by Newspaper Establishments, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in Basic wage, Dearness Allowance or Interim Relief.
  - (b) The "Additional Allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or Dearness Allowance.

- (4) The "Revised Pay Scale" shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.
- (5) The revised pay scales and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1979 in respect of classes IB, IA, I, II and III. With regard to classes IV, V, VI and VII, the revised pay scales and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1980. These dates will be referred to hereinafter as the 'relevant dates'.
- (6) Every employee with his "Present Emoluments" will be brought on to the revised pay scale with effect from the relevant dates and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.
- (7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped up to the immediate next level.
- (8) In addition, every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every five years' service in the pay scale prior to the relevant date. The total number of increments shall not be more than two.

# Provided that:

- (i) no employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- (ii) in no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments,
- (9) (a) These recommendations will not affect the terms and conditions on which the "Additional Emoluments" referred to in Rule (3)(a) were granted.
  - (b) "Additional Allowances" referred to in Rule (3)(b) shall be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments of the revised pay scales.
- (10) Within six months from the date of publication of Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his existing pay scale and "Present Emoluments" or to come on the revised pay scale with effect from the relevant dates.
- (11) The "Present Emoluments" together with variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under Rule (10).

- (12) When a newspaper establishment is reclassified under Para 13 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case, the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.
- (13) Where an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant dates, he should be entitled to count increments in the appropriate scale as from that date.
- 22. A Working Journalist, during his apprenticeship period, shall be paid a stipend of 60 per cent of the basic pay and Dearness Allowance applicable to the post for which he is being trained.
- 23. Subject to the provisions of the standing orders applicable to a particular newspaper establishment, a Working Journalist may be employed as a probationer for a period not exceeding one year during which, he shall be paid basic pay of not less than the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allowances attached to the post. In the case of a Working Journalist acting as a probationer in a higher post if he is drawing more than the minimum pay of the higher post, then, he should get 10 per cent of the minimum pay of the higher post in addition to his salery of the lower post during the probationery period.

# Date of Operation:

- 24. (1) Recommendations with regard to Revised Scales of pay and Dearness Allowance shall be operative in respect of the respective newspaper establishments from the relevant date applicable to it in accordance with para 21(5).
  - (2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

# Payment of Arrears:

25. The arrears payable, if any, as a result of retrospective operation provided in para 21(5) should be paid in not more than two instalments, not later than nine months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

# SCHEDULE I

# Group 1

"Editor" is a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper.

# Group IA

"Resident Editor" is a person who performs the functions of an Editor of a newspaper at a centre other than the one from which the newspaper was originally published.

"Associate Editor" or "Joint Editor" or "Deputy Editor" is a person who generally assists the Editor in the performence of the work of the Editor.

#### Group IB

"Assistant Editor" is a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to comments and opinions and writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"Leader Writer" is a person who regularly writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"News Editor" is a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper.

"Chief of News Bureau" is a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.

"Special Correspondent" is a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited correspondent or other-wise at the head-quarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

## Group 2

"Deputy or Assistant News Editor" is a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is in-charge of bringing out the city edition.

"Chief Reporter" is a person who is in-charge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance.

"Chief Sub-Editor" is a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the paper or in a particular edition or part of it.

"Sports Editor" is a person in-charge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more

sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.

"Commercial Editor" is a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.

"Film Editor" is a person who deals with news and views bearing on films and stage and is in-charge of specified column or page on stage and screen and supervises the work of one or more working journalists.

"Magazine Editor" is a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of news value and is in-charge of specified columns or page in respect of literary or such other allied matters and supervises the work of two or more working journalists.

"Cartoonist" is a person who comments upon news and events through cartoons and caricatures.

"Chief of Statistical or Research Devision" is a person in-charge of statistical or research division which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.

"Chief News Photographer" is a person who allocates and supervises the work of one or more photographers.

"Chief Librarian" or "Chief Index Assistant" or "Chief Calligraphist" or "Chief Artist" is a person who supervises the work of one or more librarians, Index Assistants, Calligraphists and Artists respectively.

# Group 2A

"Deputy Chief Sub-Editor" or "Senior Sub-Editor" is a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence.

"Deputy Chief Reporter" or "Senior Reporter" is a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.

"Senior Correspondent" is a person other than special and principal correspondent and his duties

include reporting on important news at any important centre other than the centre of publication and has put in service of not less than five years.

> "Senior Calligraphist", "Senior Artist", Librarian" and "Senior Index Assistant" are persons who assist the Chief Calligraphist, Chief Artist, Chief Librarian and Chief Index Assistant respectively and have put in service of not less than five years.

#### Group 3

"Sub-Editor" is a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits, and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.

"Reporter" is a person who gathers and presents news at a particular centre.

"Correspondent" is a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication.

"News Photographer" is a person who covers news events of public interest through photographs.

"Artist" is a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.

"Calligraphist" is an artist who performs journalistic work and also calligraphs matters.

"Librarian" or "Index Assistant" is a person who prepares and maintains records relating to news and views which are used as background or fill out for current stories. Persons not performing any of these functions shall not be covered.

"Chief Proof Reader" is one who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is in-charge of a shift.

## Group 4

"Proof Reader" is a person who checks up printed matter of proof with Editor's copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling, mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.

#### WORKING JOURNALISTS

TABLE I

Class of establishment	Group of employees	SCALE	Years
1B (Rs. 25 crores and above)	1 1A	No Scale. Rs. 1800–150 -2400-175–2925-200-3525	10
	18	Rs. 1550-120-2030-140-2590-160-3070 (4) (4) (3)	11
	2	Rs, 1400-90-1760-100-2160-130-2550-150-2850 (4) (4) (3) (2)	13

Class of establishment	Group of employees	SCALE	Years
	2A	Rs. 1100-75-1475-90-1925-100-2225-135-2630 (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 1000-65-1325-75-1700-90-2060-105-2480 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 800-40-1000-45-1225-55-1445-65-1705 (5) (4) (4)	18
ĪA	1	No Scale.	
(Rs. 10 crores and above and less than Rs. 25 crores)	1A	Rs. 1700–140–2260–165–2755–185–3310 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1450-110-1890-135-2430-155-2895 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1350-85-1690-90-2050-125-2425-145-2715 (4) (4) (3) (2)	13
	2/	Rs. 1050-70-1400-85-1825-95-2110-130-2500 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 950-60-1250-70-1600-85-1940-100-2340 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 750-35-925-40-1125-50-1325-60-1565 (5) (5) (4) (4)	18
I	1	No Scale.	
(Rs. 4 crores and above and less than Rs. 10 crores)	1A	Rs. 1600–125–2100–150–2550–180–3090 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1350–100–1750–125–2250–150–2700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 700–30-850-35-1025-45-1205-55-1425 (5) (5) (4) (4)	18
11	1	Not less than Rs. 2,700	
(Rs. 2 crores and above and less than Rs. 4 crores)	1A	Rs. 1400-100-1800-125-2175-150-2625 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1335-95-1715-120-2195-140-2615 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1200-75-1500-80-1820-100-2120-130-2380 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 850-50 1100-60-1400 75-1700-90-2060 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 650-30-800-35-975-45-1155-50-1355 (5) (4) (4)	18

Class of establishment	Group of employees	SCALE	Years
III	1	Not less than Rs. 2,400	
(Rs. 1 crore and above and less than Rs. 2 crores)	1 <b>A</b>	Rs. 1250-90-1610-100-1910-125-2285 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1200-70-1480-80-1800-100-2100 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 850-50-1100-60-1400-70-1610-80-1850 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 600-25-725-30-875-35-1015-40-1175 (5) (5) (4) (4)	18
IV	1	Not less than Rs. 2,200	
(Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 crore)	1 <b>A</b>	Rs. 1100-80-1420-90-1690-1[0-2020 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1050-50-1250-60-1490-70-1700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 550-25-675-30-825-35-965-40-1125 (5) (5) (4) (4)	18
v	1	Not less than Rs. 1,500	
(Rs. 25 lakhs and above and less than Rs. 50 lakhs)	1B	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 825-40-985-45-1165-50-1315-55-1425 (4) (4) (3) (2)	13
	3	Rs. 540-25-665-30-815-35-955-40-1115 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 500-20-600-25-725-30-845-35-985 (5) (5) (4) (4)	18
VI	1	Not less than Rs. 1,200	
(Rs. 10 lakhs and above and less than Rs. 25 lakhs)	18	Rs. 700-40-860-45-1040-50-1190 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 625-35-765-40-925-45-1060-50-1160 (4) (4) (3) (2)	13
	3	Rs. 475-20-575-25-700-30-820-35-960 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 450-20-550-25-675-30-795-35-935 (5) (5) (4) (4)	18
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Class of establishment	Group of employees	Scale	Years
VII	1	Not less than Rs. 1,150	
(Less than Rs. 10 lakhs)	1B	Rs. 650-35-790-40-950-45-1085 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 540-30-660-35-800-40-920-45-1010 (4) (4) (3) (2)	13
	3	Rs. 425-20-525-25-650-30-770-35-910 (5) (5) (4) (4)	18
	4	Rs. 400-15-475-20-575-25-675-30-795 (5) (5) (4) (4)	18

# TABLE II RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic Pay Slabs	Amounts to be paid for every rise of six points over the index of 363 (1960 = 100) on 1st April and 1st October every year
Upto Rs. 300	Rs. 5.00
Rs. 301 to 350	Rs. 5.25
Rs. 351 to 400	Rs. 5.50
Rs. 401 to 450	Rs. 6.00
Rs. 451 to 500	Rs. 6,50
Rs. 501 to 550	Rs. 7.00
Rs. 551 to 700	Rs. 8.00
Rs. 701 to 1000	Rs. 9.00
Rs. 1001 to 1150	Rs. 9.50
Rs. 1151 to 1300	Rs. 10.00
Rs. 1301 to 1600	Rs. 11,00
Rs. 1601 and above	Rs. 11.00

# TABLE [I]

# RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Zone	Pay Rs.	Class - IB	Class – IA	Class - I	Class – II
1	2	3	4	5	6
'A'		\-			
(Cities/Towns with a a population of 20 lakhs and above as per census of 1971)		Maximum Rs. 128	7% of pay Maximum Rs. 112 Rs. 112	6% of pay Maximum Rs. 96 Rs. 96	5% of pay Maximum Rs, 80 Rs, 80
'B'					<del></del>
(Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but	Rs. 300 to Rs. 1600	7% of pay Maximum Rs. 112	6% of pay Maximum Rs. 96	5% of pay Maximum Rs. 80	4% of pay Maximum Rs. 64
less than 20 lakhs as per census of 1971)	Rs. 1601 and above.	Rs. 112	Rs. 96	Rs. 80	Rs. 64
'C'					
(Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per	Rs. 300 to Rs. 1600	6% of pay Maximum Rs. 96	5% of pay Maximum Rs. 80	4% of pay Maximum Rs. 64	3% of pay Maximum Rs. 48
census of 1971).	Rs. 1601 and above	Rs. 96	Rs. 80	Rs. 64	Rs. 48

#### TABLE IV

#### RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift Allowance will be paid as follows:-

## Newspaper Establishments

Class I-B and I-A

Class I and II

Class III

Rs. 4 per night.

Rs. 3 per night.

Rs. 2 per night.

#### CHAPTER-VI

#### RECOMMENDATIONS

#### SECTION I

## **Preliminary**

# 1. Definitions:

The expressions, 'Working Journalist' and 'Non-Journalist Newspaper Employee' shall have the same meaning as assigned to them in the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, hereinafter called the 'Act'.

A News Agency is an establishment conducting a news agency and shall include the 4 Indian News Agencies viz., (1) The Press Trust of India, (2) The United News of India, (3) Hindustan Samachar and (4) Samachar Bharati.

'Accounting Year' shall mean the corresponding financial year of a News Agency.

'Category' means any of the kind of employees mentioned under the groups set out in Paras 7 and 8.

'Gross Revenue' of a News Agency means its total revenue from all sources, including subscription revenue derived by selling its services.

# SECTION II

- 2. For the fixation of wages of the Journalist and Non-Journalist Newspaper Employees of News Agencies, the latter shall be classified in the manner hereinafter provided.
- 3. Classification of the News Agencies shall be based on the average gross revenue for a year calculated on the basis of the gross revenue derived by them from 14th April, 1978 to 31st December, 1979.
- 4. Classification determined in accordance with paragraph 3 above shall continue until the News Agency is reclassified in accordance with the provisions of paragraph 6.

5. News Agencies shall be classified under the following 4 classes on the basis of their gross revenue—

Class	Gross Revenue
1	Rs. 2 Crores and above.
II	Rs. 1 Crore and above and less than Rs. 2 Crores.
III	Rs. 50 lakhs and above and less than Rs. 1 Crore.
IV	Less than Rs. 50 lakhs.

Note: Foreign News Agencies, i.e., those operating in India with their principal office outside India shall be treated as Class I News Agencies.

6. It shall be open either to the Employer or to the Employee to seek a reclassification of a News Agency after the accounting year 1982 on the average gross revenue of the 3 immediately preceding accounting years, provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

## SECTION III

- 7. Grouping of Journalist Employees:—
  - I. Full time employees
  - Group 1 Chief Editor, Deputy Chief Editor,
  - Group 1A Chief of Divisional Bureau, Editor and other equivalent posts.
  - Group 1B Special Correspondent, Foreign Correspondent, News Editor, Chief Reporter, Chief of State Bureau.
  - Group 2 Chief Sub-Editor, Senior Correspondent.
  - Group 2A Senior Sub-Editor, Senior Reporter.
  - Group 3 Sub-Editor, Correspondent, Reporter (For definitions, see Schedule attached hereto).

#### II. Part-time-Employees

They are part-time Correspondents whose principal avocation is that of journalism.

# 8. Grouping of Non-Journalist Employees

# Group 1.

- (a) Chief of Administration, Financial Controller-cum-Secretary.
- (b) Chief Engineer. Accounts Manager, Manager (Personnel), Manager (Promotion and Development).
- (e) Deputy Chief Engineer, Internal Auditor and equivalent administrative posts.
- Group 2 Regional Engineer, Regional Transmission in-charge, Accounts Officer, Administrative Officer and equivalent post.
- Group 3 Transmission Supervisor, Engineer, Librarian, Caretaker and other equivalent posts.
- Group 4 Senior Operator, Senior Technician, Assistant, Stenographer.
- Group 5 Clerk, Typist, Junior Technician, Junior Operator, Skilled Worker, Car Driver, Telephone Operator.
- Group 6 Attender, Havaldar, Record Keeper, Gestetner Operator.
- Group 7 Peon, Sweeper, Chowkidar, Mali.

# Nоте :--

Although several categories of employees are mentioned in the above 7 Groups, recommendations with regard to wage fixation and revision shall be confined to only such of those who fall within the definition of 'Non-Journalist Newspaper Employees' under the Act.

9. It is not obligatory for a News Agency to employ any or all of the categories mentioned in the groups above. Functions of some categories may be combined, in which case the employee shall be deemed to belong to the highest category of which functions are normally performed by him. In other cases, the principal duties performed by an employee should determine the category of the employee, neither designation nor casual or occasional work should be taken into account for such categorisation. If any News Agency has placed any of the categories mentioned in paras 7 and 8 in a higher group, that category shall continue in the higher group.

#### SECTION IV

#### Remuneration

1105 GJ/80~7

10. The Working Journalist and the Non-Journalist Newspaper Employees of different Groups employed in different classes of News Agencies should be paid basic pay per mensem in accordance with the scales as shown in Table I attached hereto.

# Dearness Allowance

- 11. The existing fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance and Basic Wage including Interim Relief granted by Government by order dated 1st April, 1977 are pegged at the All India Average Consumers Price Index Number 425 (1949 = 100) which is the basis for the payment of variable Dearness Allowance for the year confinencing 1st January 1980. The relevant date for the application of revised scales of pay and Dearness Allowance is 1st October, 1980. The new variable Dearness Allowance will be substituted for the old one on this date. In calculating the new variable Dearness Allowance, however, the old series with base 1949=100 will be discontinued and the series with base 1960 = 100 will be followed. The new variable Dearness Allowance will vary with every rise or fall of 6 points in the Consumer Price Index Number of the series 1960 = 100. It will be revised half-yearly on 1st April and 1st October at the rate of Rs. 5 for every variation of 6 points. The Dearness Allowance will also vary with wage slabs as illustrated in Table II attached to the recommendations.
- 12. Every part-time Correspondent shall be paid not less than 1/2rd of the basic wage (Basic pay+D.A.) applicable to a full-time Correspondent at similar level. No News Agency shall put any restriction on a part-time Correspondent that he will not work for any other News Agency unless he is appointed full time.

#### SECTION V

#### Other Allowances

#### 13. (a) House Rent Allowance:

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by News Agencies mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a News Agency, no House Rent Allowance will be payable, (2) if an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision, (3) where a News Agency contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

## 13. (b) Night Shift Allowance:

Night Shift Allowance will be paid to an employee at the rates as shown in Table IV attached herewith by News Agencies mentioned therein. Provided that where an employee is already in receipt of Night shift allowance either in cash or kind or both, the same or the money value thereof shall be adjusted against the amount payable under this provision.

# SECTION-VI

#### Fitment Rules:

- 14. (1) For the purpose of fitment rules, and employee means both a Working Journalist and Non-Journalist Newspaper Employee of the News Agency.
- (2) The 'Present Emoluments' of an employee shall mean his Basic Pay, fixed Dearness Allowance, variable Dearness Allowance at the Consumer Price Index Number 425 (Base 1949=100) and Interim Relief (by way of ad-hoc payment) applicable individually, granted in pursuance of the Notification dated 1st April, 1977, issued by the Government of India, Ministry of Labour, in respect of Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees.
- (3) The 'Additional Emoluments' of an employee shall mean, emoluments other than the 'Present Emoluments' referred to in rule (2) granted by News Agencies as a result of collective bargaining, agreement or award as increase in Basic Wage, Dearness Allowance or Interim Relief.
- (4) The 'Revised Pay Scale' shall mean the pay scale applicable to an employee as per these recommendations.
- (5) The revised scales of pay and Dearness Allowance shall come into force with effect from 1st October, 1980 referred to hereinafter as the "relevant date".
- (6) Every employee with his 'Present Emoluments' will be brought on to the revised pay scale with effect from the 'relevant date' and fitted into that pay scale at the appropriate stage, either at the initial new minimum or higher than the initial in the pay scale, as the case may be.
- (7) In case the present emoluments of an employee are higher than the minimum of the revised pay scale, but not at the level with any stage in the revised pay scale, he will be stepped upto the immediate next level
- (8) (1) No employee shall get more than the maximum of the revised scale as a result of fitment, (2) In no case should the total of the present emoluments be reduced as a result of fitment or operation of the provisions contained in these recommendations; the balance, if any, may be treated as Personal Pay to be absorbed in future increments.
- (9) These recommendations will not affect the terms and conditions on which the additional emoluments referred to in rule (3) have been granted.
- (10) Within six months from the date of publication of the Government Notification enforcing these recommendations every employee shall exercise his option either to retain his existing pay scale and 'Present Emoluments' or to come on the revised pay scale with effect from the relevant date.
- (11) The 'Present Emoluments' together with variable Dearness Allowance as per the last Wage Board will continue to be paid till such time as the option is exercised by an employee under rule (10).
- (12) When a News Agency is reclassified under Para 6 above, the employee should be fitted into the revised pay scale appropriate to that class. When the

basic pay does not coincide with a stage in the revised pay scale of that class the employee should be fitted at the next higher stage, when the classification goes up and at the next lower stage, when the classification goes down. In the latter case the higher existing basic pay should be protected and the difference between the existing basic pay and the pay to which he is so fitted may be treated as personal pay or it may be absorbed in future increments.

- (13) When an employee is fitted into a scale in accordance with the provisions of these rules as on the relevant date, he should be entitled to count increments in the appropriate scale as from that date.
- 15. A person being trained by the News Agency as an apprentice, shall, during the apprenticeship period be paid a stipend of 60% of the Basic pay and allowances applicable to the post for which he is being trained.
- 16. Subject to the standing orders applicable to the News Agency, a Journalist or a Non-Journalist employee of the News Agency may be employed on probation for a period not exceeding one year during which he shall be paid the minimum of the scale applicable to the class of establishment and group in which he is a probationer alongwith the allewances attached to the post. If an employee, Journalist or non-journalist, acts as a probationer in a higher post, then he should get 10% of the minimum of the higher post in addition to his scale of the lower post during the probationery period.

#### 17. Date of Operation

- (1) Recommendations with regard to the revised scales of pay and Dearness Allowance shall be operative from the 'relevant date' mentioned in paragraph 14(5).
- (2) The rest of the recommendations shall come into force from the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations.

## 18. Payment of Arrears

The arrears, if any, payable as a result of these proposals shall be paid in not more than 2 instalments, not later than 9 months from the date of the publication of the order of the Central Government under Section 12 of the Act.

## **SCHEDULE**

## (Para-7)

- 1. 'Chief Editor' is a person who is in overall charge of a News Agency.
- 2. 'Deputy Chief Editor' is a person who assists the Chief Editor in the discharge of his duties and acts for him during his absence.
- 3. 'Chief of Divisional Bureau' is a person who is in-charge of the central news desk of the entire News Agency and who supervises, guides and directs news services in metropolitan centres, i.e., Delhi, Calcutta, Bombay and Madras.

- 4. 'Editor' is a person who directs and supervises the work of the editorial side of the News Agency.
- 5. 'Special Correspondent' is a person who is accredited to the Union Government and whose regular duties are to report news of Parliamentary, political or general importance or a person in a metropolitan centre who specialises in covering news of economic importance or national or international nature
- 6. 'Foreign Correspondent' is a person stationed abroad for news coverage from the country or part of the country to which he is assigned.
- 7. 'News Editor' is a person who is in charge of a news desk or regional news at a metropolitan centre and who supervises, directs and guides the different news services
- 8. 'Chief of State Bureau' is a person who guides and directs collection of news of all types in a State Capital.
- 9. 'Chief Reporter' is a person in a metropolitan centre who is in-charge of all reporters in that centre, and reports all news of legislative, political or general importance.
- 10. 'Senior Correspondent' is a person in the metropolitan centre whose regular duties are to report

- news of Parliamentary, political or general importance or a person regularly assigned to cover news of economic and commercial importance, Ceurts and national sports.
- 11. 'Chief Sub-Editor is a person in the metropolitan centre who regularly takes charge of a shift on the editorial desk, assigns and supervises the work of Sub-Editors.
- 12. 'Senior Sub-Editor' is a person in the metropolitan centre who is regularly assigned to take charge of a shift other than the main shifts on the editorial desk or whose regular duties include preparation of news dispatches for special subscribers.
- 13. 'Senior Reporter' is a person whose regular duties include reporting of State Government news or proceedings of State Legislature.
- 14. 'Sub-Editor' is a person who receives, selects, shortens, summaries, claborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and he may do some or all the functions.
- 15. 'Reporter' is a person who gathers and presents the news at a particular centre.
- 16. 'Correspondent' is a person who gathers and dispatches by wire, post or any other means, news from any centre.

TABLE I
WORKING JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
1	1	No Scale,	
(Rs. 2 crores and above).	1A	Rs. 1600–125–2100–150–2550–180–3090 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1350–100–1750-125–2250–150 (2700) (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1250-80-1570-85-1910-125-2285-140-2565 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 950-60-1250-80-1650-90-1920-125-2295 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 900-55-1175-65-1500-80-1820-95-2200 (5) (5) (4) (4)	18
π	1	Not less than Rs. 2700 per month.	
(Rs. 1 crore and above but less than Rs. 2 crores).	1A	Rs. 1400-100-1800-125-2175-150-2625 (4) (3) (3)	10
	1B	Rs. 1335-95-1715-120-2195-140-2615 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1200–75–1500–80–1820–100–2120–130–2380 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 900-55-1175-75-1550-85-1805-120-2165 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 850-50-1100-60-1400-75-1700-90-2060 (5) (5) (4) (4)	18

# TABLE I—Contd. WORKING JOURNALIST—Contd.

Class	Group	Pay Scale	Years
III	1	Not less than Rs. 2400 per month.	
(Rs. 50 lakhs and above but less than Rs. 1 crore).	1A	Rs. 1250-90-1610-100-1910-125-2285 (4) (3) (3)	10
	1 B	Rs. 1200-70-1480-80-1800-100-2100 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 1050-65-1310-70-1590-80-1830-90-2010 (4) (4) (3) (2)	13
	2 \	Rs. 850-50-1100-70-1400-70-1610-80-1850 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 800-35-975-45-1200-55-1420-65-1680 (5) (5) (4) (4)	18
JV	1	Not less than Rs. 2200 per month.	
(Less than Rs. 50 lakhs).	IA	Rs. 1100-80-1420-90-1690-110-2020 (4) (3) (3)	10
	113	Rs. 1050-50-1250-60-1490-70-1700 (4) (4) (3)	11
	2	Rs. 900-45-1080-50-1280-55-1445-70-1585 (4) (4) (3) (2)	13
	2A	Rs. 750-35-925-45-1150-55-1315-65-1510 (5) (5) (3) (3)	16
	3	Rs. 615-30-765-40-965-55-1185-60-1425 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE I

# NON JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
I	1	No Scale.	
(Rs. 2 crores and above).	2	Rs. $1035-50-1235-65-1495-80-1735-95-2020$ (4) (4) $(4)$ $(3)$ (3)	14
	3	Rs. 900-35-1040-50-1240-60-1420-75-1645 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 735-35-875-40-1035-50-1235-55-1455 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 610-23-702-25-802-27-910-30-1030 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 555-12-615-13-680-14-736-15-796 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 500-11-555-12-615-13-667-14-723 (5) (5) (4) (4)	18
II	1	No Scale.	
(Rs. 1 crore and above but less than Rs. 2 crores).	2	Rs. 840-40-1000-45-1180-55-1345-65-154 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs 770-35-910-40-1070-50-1220-60-1400 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 685-30-805-35-945-45-1125-50-1325 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 590-21-674-23-766-25-866-27-974 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 530-11-585-12-645-13-697-14-753 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 475-10-525-11-580-12-628-13-680 (5) (5) (4) (4)	18

# भारत का राजपतः स्रसाधारण

# TABLE I NON JOURNALISTS

Class	Group	Pay Scale	Years
<u>m</u>	1	No Scale.	<u></u>
(Rs. 50 lakhs and above less than Rs. 1 crore).	2	Rs. 770-35-910-40-1070-59-1220-55-1385 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 735-35-875-40-1035-45-1170-50-1320 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 665-30-785-35-925-40-1085-45-1265 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 555-19-631-21-715-23-807-25-907 (4) (4) (4) (4)	16
	6	Rs. 500-10-550-11-650-12-653-13-705 (5) (5) (4) (4)	.18
	7	Rs. 450-9-495-10-545-11-589-12-637 (5) (5) (4) (4)	18
IV	1	No Scale.	
(Less than Rs. 50 lakhs).	2	Rs. 700-30-820-35-960-45-1095-50-1245 (4) (4) (3) (3)	14
	3	Rs. 675-30-795-35-935-40-1055-45-1190 (4) (4) (3) (3)	14
	4	Rs. 600-25-700-30-820-35-960-40-1120 (4) (4) (4) (4)	16
	5	Rs. 505-17-573-19-649-21-733-23-825 (4) (4) (4) (4)	10
	6	Rs. 465-9-510-10-560-11-604-12-652 (5) (5) (4) (4)	18
	7	Rs. 425-8-465-9-510-10-550-11-594 (5) (5) (4) (4)	18

TABLE II

RATES OF DEARNESS ALLOWANCE

Basic pay slabs	Amounts to be paid for every rise of six points over the Index of 363 (1960=100) on 1st April and 1st October every year
 1	2
 Upto Rs. 300	Rs. 5.00
Rs. 301 to 350	Rs. 5.25
Rs. 351 to 400	Rs. 5.50
Rs. 401 to 450	Rs. 6.00
Rs. 451 to 500	Rs. 6.50
Rs. 501 to 550	Rs. 7.00
R <sub>3</sub> , 551 to 700	Rs. 8 00
Rs. 701 to 1000	Rs. 9.60
Rs. 1001 to 1150	Rs 9.50
Rs. 1151 to 1300	Rs. 10.00
<b>R</b> s, 1301 to 1600	Rs. 11.00
Rs. 1601 and above	Rs. 11.00

# TABLE III

## RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

Zone	Basic pay Rs.	Class I	Class II
,Y,			,
Cities/Towns with a population of 20 lakhs and	Rs. 300 to Rs. 1600	6% of pay	5% of pay
above as per census of 1971)	Rs. 1601 and above	Maximum Rs. 96 Rs. 96	Maximum Rs. 80 Rs. 80
·B·			
Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1971)	Rs. 300 to Rs. 1600	5% of pay Maximum Rs. 83	4% of pay Maximum Rs. 64
above but less than 20 makins as per census of 1971)	Rs. 1601 and above	Ra. 80	Rs. 64
'C'			
Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs	Rs. 300 to 1600	4% of pay Maximum Rs. 64	3% of pay Maximum Rs. 48
as per census of 1971)	Rs. 1601 and above	Rs. 64	Rs. 48

## TABLE IV

# RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Night Shift Allowance will be paid as follows :---

#### **NEWS AGENCIES**

Class I and  $\Pi$ 

Rs. 3 per night.

Class III

Rs. 2 per night.